Email **AJAY KUMAR**

Proceedings of First Regional Conference on Strengthening of PESA held on 11th and 12th January 2024 at Pune, Maharashtra (Hindi)

From : Nilay Kumar <nilay.kumar@govcontractor.in> Mon, Apr 29, 2024 01:49 PM

Subject : Proceedings of First Regional Conference on Strengthening of PESA held on 11th and 12th January 2024 at Pune, Maharashtra (Hindi) 1 attachment

To : secprh@gujarat.gov.in, commi-prh@gujarat.gov.in, dcoffice162@gmail.com, Priyatu Mandal <ruraldevsecy-hp@nic.in>, rddhimachal@gmail.com, acsprdmp@gmail.com, secretaryprdd@gmail.com, dirpanchayat@mp.gov.in, sec rdd <sec.rdd@maharashtra.gov.in>, spdmaharashtra@gmail.com, pesamaharashtra@gmail.com, rdpr@rajasthan.gov.in, psrdpr raj <psrdpr.raj@gmail.com>, rajpr comm <rajpr.comm@rajasthan.gov.in>, rajpr dsplan <rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in>

Cc : Dr Naval Kapoor <kapoor.naval@gov.in>, mallinath kalshetti <mallinath.kalshetti@yashada.org>, O/o SPR <secyoffice-mopr@nic.in>, Dr(Mr) Chandra Kumar <cs.kumar@nic.in>, BaljeetKaur PPS <baljeet.k@gov.in>, Sarvan Kumar <sarvankumar-cwc@gov.in>, RAM PRATAP <pratap.ram@nic.in>, Vijay Kumar <vijay.kumar68@nic.in>, AJAY KUMAR <ajay.k42@nic.in>, BABURAO MAHADU ASOLE <baburao.asole@nic.in>, thadke1111@gmail.com, anandbhandari255@yahoo.com, floralhearts@hotmail.com, earthinn@gmail.com, Chandlaniraj@gmail.com, Praju gongane <Praju.gongane@rediffmail.com>, CHINNADURAI R <chinnadurai.nird@gov.in>, ashok dangi22 <ashok.dangi22@gmail.com>, prashantdudhade@gmail.com, akashgaiwad1113@gmail.com, ganvitjayendra@Gmail.com, skgoyalras@gmail.com, ingle aditya <ingle.aditya@rediffmail.com>, vivekjadhavar@gmail.com, suniljainbhopal@gmail.com, arjuna r30 <arjuna.r30@gmail.com>, shubhamk9370@gmail.com, kapoorchandan3@gmail.com, kulkarnissp@yahoo.co.in, nandakulsange07@Gmail.com, 79kumarraj@gmail.com, himatlaltavad@mail.com, lokhandesnehal491@gmail.com, sagarmahadik4@gmail.com, Kajalmeshra@gmail.com, Vimal sej <Vimal_sej@yahoo.co.in>, imsanju15@gmail.com, milind@teerfoundation.in, ankitmedas@gmail.com, anilkumaru564@gmail.com

Madam/Sir,

I am directed to forward the Hindi version of the proceedings of the First Regional Conference on Strengthening of Panchayats (PESA), held on 11th and 12th January 2024 at YASHADA in Pune, Maharashtra, for intimation and action as appropriate.

Thanks & Regards,
Nilay Kumar Singh
Consultant - MoPR
9953056732/9599117292

पेसा के प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन का कार्यवृत्त.pdf
593 KB

दिनांक 11 और 12 जनवरी, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित पेसा के सुदृढ़ीकरण पर प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन की कार्यवाही

उद्घाटन सत्र:

अध्यक्ष: श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

1. सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पेसा अधिनियम के लागू होने के 25 वर्षों के बाद, इसके कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति को प्रतिबिंबित करना और आगे का रास्ता तैयार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन की रूपरेखा और उद्देश्य के बारे में बताया।

2. श्री एकनाथ दावले, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महाराष्ट्र ने श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव और सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा करते हुए, उन्होंने पंचायत ग्राम सभा और पेसा ग्राम सभा के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेसा क्षेत्रों में धनराशि के प्रभावी उपयोग और पेसा ग्राम पंचायतों एवं पेसा ग्राम सभाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियों को समझने में जमीनी स्तर के हितधारकों, जैसे गैर सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचार अति महत्वपूर्ण/मूल्यवान होंगे।

3. पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने सम्मेलन में आए राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन में महाराष्ट्र राज्य सरकार और यशदा के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि पेसा अधिनियम, जिसने ग्राम सभा को लघु वन उपज के स्वामित्व, उत्पाद शुल्क कानून, राजस्व के अपने स्रोतों आदि जैसे मामलों में महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की हैं, के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन एक मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने इन गतिविधियों में ग्राम सभाओं को वास्तव में शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने पेसा क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता और ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक समर्पित एमआईएस प्रणाली की सिफारिश की और पेसा की विकास योजनाओं को जीपीडीपी दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के महत्व के साथ-साथ मंत्रालय के आईटी एप्लीकेशनों, जैसेकि जीपीडीपी, को संशोधित करने तथा जनजातीय उप-योजनाओं के अभिसरण की दिशा में प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

4. सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने एक प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें पेसा नियमों के अनुपालन का अवलोकन करना, उच्च गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) के लिए एक साक्ष्य-आधारित योजना हेतु एलएसडीजी थीमैटिक और समग्र पीडीआई स्कोर का उपयोग करना, मूलभूत सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना, पेसा क्षेत्रों में कुशल योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम मानचित्र के महत्व को बताना, जमीनी स्तर पर ज्ञान का प्रसार करना आदि को शामिल किया गया।

5. अपने मुख्य भाषण में, श्री विवेक भारद्वाज, सचिव ,पंचायती राज मंत्रालय ने भाग लेने वाले राज्यों की सराहना की और जनजातीय समुदायों पर पेसा अधिनियम के प्रभाव पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में अपने कार्यकाल के दौरान अपने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली जमीनी स्तर की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने में भारत सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया। माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन का हवाला देते हुए उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के कार्यान्वयन पर जोर दिया, जिसे जनजातीय समुदायों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने जनजातीय समूहों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) तक पहुंचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। उन्होंने पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीके को पहचानना, सशक्त बनाना और बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आदिवासी समुदायों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना और उनका सतत विकास सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि पेसा अधिनियम में सुधार आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण और हिस्सेदारी, समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपयोगी चर्चाओं, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और सहयोगी रणनीतियों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने सभी भाग लेने वाले राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी के लिए अधिक समावेशी और सशक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।

———

सत्र I: पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता जिसमें इन क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने में उनकी भूमिका भी शामिल है।

अध्यक्ष: अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

1. **सुश्री नीरज चांदला**, **हिमाचल प्रदेश** - ग्राम सभाओं को पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिए। आरजीएसए के तहत और जीपीडीपी योजना में भी प्रशिक्षण का विशेष प्रावधान होना चाहिए। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने अनाबद्ध/अनटाइड निधि के तहत पेसा क्षेत्रों के लिए 5% का प्रावधान किया है, उसी तरह केंद्र सरकार के आगामी 16वें वित्त आयोग को जनजातीय विभाग या पेसा के लिए 5% या 10% का प्रावधान करना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए पेसा क्षेत्रों को जमीन और भवन की आवश्यकता है। एनजीओ की भागीदारी की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हम आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें और ग्राम सभाओं को सशक्त बना सकें और इसके माध्यम से लोग आगे आकर अपनी आवाज उठा सकें।

2. डॉ. देवेश कुमार मिश्रा, **मध्य प्रदेश-** मध्य प्रदेश में पेसा नियम 15 नवंबर 2022 को जारी किए गए। इन्हें लोगों तक पहुंचाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एक बड़ी चुनौती थी। पेसा को लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों, वन अधिकारियों, आदिवासी अधिकारियों और सभी निचले स्तर के अधिकारियों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। हमने 2-3 तरह से प्रशिक्षण अभियान चलाए थे | पहले स्तर का प्रशिक्षण कमिश्नर, कलेक्टर, उनके नीचे के अधिकारियों, वन अधिकारियों और पंचायत सचिवों आदि को दिया गया। दूसरे स्तर का प्रशिक्षण पारंपरिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिया गया। निचले स्तर के लोगों तक पहुंचना और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी समितियों का गठन करना बहुत महत्वपूर्ण था। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी था। उनके समन्वयन के लिए जिला और ब्लॉक समन्वयक और ग्राम सभा मोबिलाइज़र नियुक्त किए गए हैं और उनकी मदद से हम डेटा, सूचना और प्रारूप बनाने पर काम कर रहे हैं। पेसा नियमों का क्रियान्वयन ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। बैठकें करने से समितियों को अधिकार प्राप्त हुआ है। हमने कार्यान्वयन का डेटा और रिकॉर्ड रखने के लिए प्रारूप भी बनाए हैं। तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन/ बिक्री समितियों द्वारा किया जा रहा है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 268 तेंदू विपणन समितियों ने ग्राम सभाओं से अधिकार प्राप्त कर ऐसा किया है। विवाद का समाधान चल रहा है| टोलो और मजलो में नये ग्राम सभा का गठन भी एक चुनौती थी| पेसा क्षेत्रों में नई ग्राम सभाओं के गठन के लिए अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में पेसा की 11595 ग्राम सभाएं थीं। इसमें 124 नई ग्राम सभाओं की बढ़ोतरी हुई है। पेसा नियम लागू होने के बाद ग्राम सभाओं के बैंक खाते भी खोले गये हैं |

यह देखना महत्वपूर्ण है कि विवाद समाधान कितना प्रभावी है। 1884 मामले पुलिस के पास जाने से पहले ही पंचायत में सुलझा लिये गये हैं। ग्राम सभाओं को खनिज पट्टे तय करने जैसे अधिकार भी दिये गये हैं। ग्राम सभाओं तक कितने प्रस्ताव पहुंच रहे हैं, इसका अध्ययन भी कराया गया। ग्राम सभा के साथ-साथ समितियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब तक समितियां अपने अधिकार नहीं जान लेंगी, तब तक निर्णय लागू नहीं होगा। विभिन्न अधिकारियों से समन्वयन भी जरूरी है।

3. **श्री शेखर सावंत**, **निदेशक**, **राज्य पेसा महाराष्ट्र**- पेसा अधिनियम के तहत, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधान 54ए के तहत ग्राम सभाओं को शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं। पेसा ग्राम सभाओं के लिए 54सी का प्रावधान किया गया है | महाराष्ट्र राज्य ने पेसा नियम बनाए हैं जिनमें 12 अध्याय और 52 नियम हैं। महाराष्ट्र में 2991 पेसा ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पेसा गाँव के लिए एक अलग ग्राम सभा का गठन

किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य पेसा नियम 2014 के तहत नियम 4 में एक नए गांव की अधिसूचना का प्रावधान है। 2991 ग्राम पंचायतों में 8990 पेसा गांव घोषित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2991 ग्राम पंचायतों में 7800 गांवों की योजना बनाई गई है। हालाँकि, प्रत्येक पेसा गाँव की योजना को अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं है जिसे तत्काल प्रदान करने की आवश्यकता है। फिलहाल पेसा पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी पेसा गांवों की योजनाओं को एक साथ अपलोड किया जा रहा है।

ग्राम सभा पेसा पंचायत में ली गई सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देती है। लाभार्थियों का अंतिम चयन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में पेसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 1 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। हालाँकि उनके नाम ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होते हैं लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी होती है।

महाराष्ट्र में प्रत्येक पेसा ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव है। महाराष्ट्र में 2991 ग्राम पंचायतें हैं और एक पेसा ग्राम पंचायत में 10 से 12 पेसा गाँव हैं। एक पंचायत सचिव के लिए इतने अधिक गांवों में काम करना मुश्किल है | अत: अनुरोध है कि यदि जनसंख्या के आधार पर मोबिलाइजर का प्रावधान किया जाए तो अच्छा रहेगा। सुदूरवर्ती क्षेत्र होने और 10 गांव होने के कारण ग्राम पंचायत सचिव को पेसा की सभी ग्राम सभाओं की कार्यवाही लिखने में भी कठिनाई होती है।

पंचायतों की नियमित ग्रामसभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन पेसा ग्राम सभा की हर बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं | इसी प्रकार ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन अपलोड की जाती है, लेकिन पेसा ग्राम सभाओं की कार्यवाही ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है।

महाराष्ट्र में, ग्राम पंचायत की नियमित ग्राम सभा के लिए 15% कोरम का प्रावधान है, लेकिन पेसा ग्राम सभा के लिए 25% कोरम का प्रावधान है। महिला सभा ग्राम पंचायत की नियमित ग्राम सभा से पहले आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत दिशानिर्देशों के तहत, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत को 15000/- रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

4. श्री संतोष कुमार गोयल, **उप सचिव**, **राजस्थान पंचायती राज**- राजस्थान ने 1999 में पंचायती राज अधिनियम बनाया और 2011 में पेसा नियम बनाए। राजस्थान राज्य में तीन जिले पूरी तरह से और पांच जिले आंशिक रूप से पेसा के अंतर्गत हैं। यहां 50 ब्लॉक, 1617 ग्राम पंचायतें और 5696 पेसा गांव हैं। वर्तमान समय में ग्राम सभा इतनी प्रभावी नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, इसलिए अनुरोध है कि प्रत्येक पेसा गांव के लिए एक ग्राम नोडल अधिकारी उपलब्ध कराया जाए और उसे उस गांव के लिए जिम्मेदार बनाया जाए ताकि वह समय पर ग्राम सभा आयोजित कर सके। यह एक सुझाव है |

दूसरा राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास आयुक्त के बारे में है। वही पेसा लागू करने का काम देखते हैं। ऐसे में सुझाव है कि इसमें जिला पंचायत सीईओ के साथ-साथ जिला कलेक्टर को भी अलग से शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है | ग्राम स्तर पर शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। वे समितियां भी पूरी तरह से गठित नहीं हैं और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही हैं। राजस्थान में सामान्य ग्राम सभा है लेकिन पेसा ग्राम सभा प्रभावी नहीं है। हालांकि राज्य और जिला स्तर पर पेसा के लिए समन्वयक काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अभी तक कोई समन्वयक नहीं है। इसलिए यदि इसकी निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी करें तो यह अधिक प्रभावी होगा| उन्हें नोडल अधिकारी के रूप में अलग से मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाए।

प्रश्नोत्तरी सत्र

5. श्री मिलिंद थट्टे, **महाराष्ट्र -** मेरा सभी राज्यों से एक प्रश्न है कि क्या किसी ग्राम सभा ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि किसी निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। क्या ऐसा कोई उदाहरण किसी राज्य में हुआ है, और यदि ऐसा होता है तो क्या आपके राज्य की नियमावली/कोड में कोई प्रावधान है?

6. कार्यक्रम अधिकारी, **गुजरात -** गुजरात में ग्राम पंचायत द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है। निर्माण कार्य का एस्टीमेट/ प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी मंजूरी देने वाला प्राधिकरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र देता है। लेकिन इसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में रखा जाता है। यह संपत्ति ग्राम पंचायत के डेड स्टॉक में दर्ज है। लेकिन पेसा ग्राम सभा कोई भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देती।

7. निदेशक, **राज्य पेसा महाराष्ट्र** - महाराष्ट्र में, उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेसा ग्राम सभा द्वारा दिया जाता है। हालाँकि, यदि ग्राम सभा को लगता है कि कोई निर्माण कार्य ठीक से नहीं हुआ है, तो कार्य को पूरा करने वालों को ग्राम सभा में आना होगा और बताना होगा कि उस कार्य में क्या प्रावधान थे और क्या हुआ है। यदि फिर भी दोनों के बीच विवाद हो तो इस मुद्दे को नियमित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में उठाया जा सकता है। नियमित ग्राम पंचायत सभा इस पर निर्णय दे सकती है।

8. श्रीमती राधिका नेगी, **हिमाचल प्रदेश**- हमारे राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1997 में प्रावधान है कि इसे (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) ग्राम सभा ही देगी। हम सभी गांवों को यह प्रावधान बताते हैं कि यह आपके लिए विशेष शक्ति है। लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो इस प्रावधान का उपयोग नहीं करते हैं।

9. श्री संतोष कुमार गोयल, **राजस्थान** - वर्तमान में ग्राम पंचायत उपयोगिता प्रमाण-पत्र देती है। लेकिन यदि इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो ग्राम पंचायत निर्माण कार्य पूरा होने तक ऐसी अनुमति नहीं देती है।

10. **डॉ. चंद्र शेखर कुमार**, **अपर सचिव**, **पंचायती राज मंत्रालय–** ग्राम पंचायत की नियमित ग्राम सभा एवं पेसा ग्राम सभा दोनों पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा पूरे गांव के मतदाताओं से बनती है और पेसा ग्राम सभा को केवल आठ से दस वार्ड सदस्यों की एक समिति बनाती है।

11. डॉ. देवेश कुमार मिश्रा, **मध्य प्रदेश** - ग्राम सभा किसी भी निर्माण कार्य के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देती है। अभी हम ग्राम स्तर पर निर्माण एवं विकास समितियां बना रहे हैं और ये निर्माण एवं विकास समितियां निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगी | यह निर्णय लिया गया कि किसी भी निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र ग्राम निर्माण एवं विकास समिति ही देगी।

12. श्री मिलिंद थट्टे - मैं ग्राम सभाओं में कम भागीदारी वाले चार-पांच राज्यों में गया हूं। उसमें मुझे उत्तर मिला राजस्थान में, पंचायत सचिव ने मुझे इसके दो कारण बताये। लोग सोचते हैं कि ग्राम सभा इसलिए हो रही है क्योंकि यह सरकार का एजेंडा है | और दूसरा, लोगों का मानना है कि वहां हमारी बात कौन सुनेगा? जब ग्राम सभा के निर्णय में मेरी हिस्सेदारी होगी तो मैं ग्राम सभा में जाऊंगा। जब ग्राम सभा में जाने का कोई कारण ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं?

13. श्रीमती राधिका नेगी, **प्रधान ग्राम पंचायत विभाग**, **किन्नौर**, **हिमाचल प्रदेश** - पेसा ग्राम सभाएं अभी तक यहां आयोजित नहीं की जा रही हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और जो ग्राम सभा हो

रही है वह वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत है। अगर हम सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की बात करें तो हमारे गांवों से इसके बारे में पूछा तक नहीं गया। हमारे जंगल में आग लग गई थी, हमने पेड़ों को बचाया, कुछ पेड़ जल गए, बाद में जले हुए पेड़ों को काट दिया गया। ये सारा पैसा निगम के पास चला गया, उसके बाद वहां कोई काम नहीं हुआ और पूरी जगह खाली हो गई | इसलिए हमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। लेकिन यहां आकर मुझे पेसा ग्राम सभा और उनके अधिकारों के बारे में पता चला है | इसे हम अपने क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को कैसे बचा सकते हैं? हम हिमालय के नीचे रहते हैं इसलिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद यही हमारी कमजोरी है कि हम इतनी ग्राम सभाएं नहीं कर पाते। लेकिन हम अपनी ग्राम सभाओं को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

14. श्री सचिन, **हिमाचल प्रदेश** - जब हम प्रारंभ में निर्वाचित होते हैं तो हमारी ग्राम सभा में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होती है। नया व्यक्ति चुना गया है, वह इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा, इसका क्रियान्वयन अच्छा होगा। लेकिन हर साल इसमें काफी समय लगता है और हम इसमें परिवर्तन देखते हैं कि जब हम प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि उस प्रस्ताव की ताकत कमजोर है। तो हम ग्राम सभा को सत्ता में कैसे लाएँ? क्योंकि पंचायत राज की शक्ति ग्राम सभाओं में निहित है।

15. श्री निरंजन पटेल, **सरपंच**, **अलीराजपुर जिला**, **मध्य प्रदेश** - प्रारंभ में होने वाली ग्राम सभाओं में अधिक लोग आते हैं। जब उनकी मांगों को पूरा करने की बात आती है तो हम प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं रुक जाते हैं। तीन माह तक फाइल इंजीनियर के पास रहती है। मेरी अपनी आशाएं लोगों से ज़्यादा थीं। इस प्रक्रिया से हमने देखा है कि लोगों का भरोसा धीरे-धीरे कम होता जाता है। और तो और, ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार एसडीजी के लक्ष्य विकास के लक्ष्य नहीं हैं। सूचना मिलती है कि आपके गांव में जनसंख्या पर काम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए। यह मेरे गांव की कहानी नहीं है, पूरे जिले की यही कहानी है। लोग पूछते हैं कि 10 साल पहले की गई पानी की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई?

16. श्री राजकुमार, **हिमाचल प्रदेश** - हमने पेसा के संबंध में 2 मॉडल देखे हैं (1) महाराष्ट्र (2) हिमाचल। आपके अनुसार कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है? क्या ग्राम पंचायत पेसा ग्राम सभा पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी या महाराष्ट्र में जो अलग ग्राम सभा बनी है उसे मजबूत किया जाएगा?

17. श्रीमती नीरज चांदला, **हिमाचल प्रदेश**- हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा हमारे क्षेत्र में पेसा है जहां 90% आदिवासी लोग हैं, इसलिए यदि पेसा ग्राम सभा और पीआरआई की सामान्य ग्राम पंचायत को एक ही माना जाए तो योजना भी एक ही होगी। कार्यान्वयन भी इसी प्रकार होगा।

18. श्री चंद्र शेखर, **अपर सचिव**, **पंचायती राज मंत्रालय** -पेसा अधिनियम लागू हुए 25 साल हो गए हैं और राज्यों ने पेसा नियम बनाए हैं। लेकिन इसमें उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यह सिर्फ शुरुआत है और हम ज्यादा प्रगति नहीं कर रहे हैं। पेसा नियमों के तहत ग्राम सभाओं का गठन किया गया और आपने काम को आगे बढ़ाया। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना विशिष्ट सेल बनाएं। हम आरजीएसए में कुछ घटकों का योगदान दे रहे हैं, और कुछ राज्य भी अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं। वह योगदान पूरा होना चाहिए। साथ ही राज्य के बजट और जनजातीय योजना क्षेत्र से जनशक्ति लें। क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग सिर्फ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से ही नहीं होगी। जिला और ब्लॉक स्तर से जनशक्ति बनाए रखना होगा।

19. श्री संदीप मिन्हास, **हिमाचल प्रदेश** - हमें अभी बताया गया है कि हिमाचल की सभी ग्राम सभाओं

को पेसा के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जीपीडीपी के तहत बनाई गई योजनाओं और पेसा गांव के तहत बनाई गई जीपीडीपी योजनाओं के बीच क्या अंतर है? ग्राम पंचायत की ग्राम सभा पेसा ग्राम सभा नहीं है | पेसा ग्राम सभा की कार्यवाही लिखित है | क्या उपरोक्त पंक्ति में यह लिखा है कि यह पेसा ग्राम सभा के तहत किया गया है और यह ग्राम पंचायत की ग्राम सभा नहीं बल्कि पेसा ग्राम सभा है? और क्या आपके पास इसकी कोई कार्यवाही है?

20. श्रीमती नीरज चांदला, **हिमाचल प्रदेश** -हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों अर्थात् किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति की जनसंख्या काफी बिखरी हुई है और हमारी ग्राम पंचायतों में 400-500 लोग हैं। पेसा के अंदर जो ग्राम सभा होती है उसे 'पेसा ग्राम सभा' नहीं लिखा जाता है। वर्तमान में हमारी ग्राम सभाएँ जो योजनाएँ बनाती हैं, वे विषयवार होती हैं; जीपीडीपी एलएसडीजी पर विचार करके योजना बनाती है। हमने पहली बार उनकी प्रशिक्षण का भी आयोजन किया। हमने राज्य स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की। वहीं जिला स्तर पर पेसा समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया। हमारी कोई पेसा ग्राम सभा नहीं है| हम जीपीडीपी के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभा पर विचार कर रहे हैं।

21. श्री एकनाथ डावले, **प्रमुख सचिव**, **ग्रामीण विकास विभाग**, **महाराष्ट्र** - महाराष्ट्र में अधिसूचित सभी पेसा बस्ती/पाड़ा की न्यूनतम जनसंख्या 50-60 है। महाराष्ट्र में कुल 8000 पेसा गांव हैं और उनकी अलग-अलग पेसा ग्राम सभाएं हैं। उनके पास एक ग्राम सभा निधि बैंक खाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति अनुसूचित पंजीकृत जनसंख्या को 600/- रुपये की दर से अनाबद्ध/अनटाइड निधि दी जाती है। गाँव के निर्माण कार्यों की प्रक्रिया और निगरानी वही ग्राम समिति करती है इसलिए उन्हें लाभ होता है। पेसा गांव में गैर-अनुसूचित आबादी भी हो सकती है और फिर ग्राम पंचायत और ग्राम समितियों के बीच निर्माण कार्य और यूसी को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए पेसा गांवों की ग्राम सभा ग्राम पंचायत को अपने काम की आजादी देती है और जब तक पेसा गांवों को मजबूत नहीं किया जाएगा, उन्हें पैसा कहां से मिलेगा? मिनीपाड़ा गांव जैसी छोटी बस्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए, यदि आपके राज्य का जनजातीय विभाग मंत्रालय, पेसा गाँवों को अनाबद्ध/अनटाइड निधि के साथ-साथ, अपनी जनजातीय उपयोजना के कुछ घटकों को पेसा ग्राम सभा को सौंप देगा, तो पेसा गाँव मजबूत हो जाएंगे, अन्यथा यह बस एक कागजी प्रक्रिया रह जाएगी।

22. श्री सुनील जैन, **डीडीजी**, **एनआईसी** - मध्य प्रदेश में, हर गांव में एक बैंक खाता है और ग्राम समितियां हैं। उनका पैसा कहाँ से आता है, वे इसका उपयोग कैसे करते हैं? और क्या उनके बैंकों और ब्लॉक पंचायत स्तर पर समितियों के बारे में जानकारी, अधिसूचना या सूचना है?

23. डॉ. देवेश कुमार मिश्रा, **मध्य प्रदेश** - सभी पेसा ग्राम सभाओं के पास ग्राम सभा के कार्यों को करने के लिए अपने अलग खाते होने हैं। इसलिए सभी पेसा ग्राम सभाओं का बैंक खाता खोला गया है। और दूसरा सवाल यह है कि पैसा कहां से आता है? अभी खाता खोलने तक ही काम हुआ है। पैसा/ धनराशि कहां से आएगा और क्या गतिविधियां होंगी, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। समितियाँ बन गई हैं, उनका डेटा हमें मिल गया है। समितियां नहीं बनेंगी तो काम कैसे होगा? और डेटा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुरक्षित जनजातीय कोष को देना होगा। हम इन्ही समितियों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

24. श्री चंद्र शेखर, **अपर सचिव**, **पंचायती राज मंत्रालय**- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद आप क्षमता निर्माण के लिए पेसा राज्य को क्या सहायता दे सकते हैं?

25. आर. चिन्नादुरई, **एसोसिएट प्रोफेसर**, **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**, **हैदराबाद** - एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते, हमारे पास जनजातीय मुद्दों से निपटने वाला एक

अलग केंद्र, सेंट्रल फॉर सोशल इक्विटी है। वे विशेष रूप से जनजातीय ग्राम सभा का कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए एवं यहां तक कि हम ग्राम पंचायत सरपंच जैसे जमीनी स्तर के नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, और हम क्षमता निर्माण कर रहे हैं एवं उस क्षेत्र में पंचायत विकास योजना कैसे तैयार की जाए इस पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं । हम दो क्लस्टर कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। जब भी, राज्य से स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो हम विभिन्न हिस्सों से विवरण एकत्र करने के लिए उपयोग करते हैं और हमारे पास आदिवासी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं भी हैं, जिन्हें प्रसारित/ प्रचारित किया जाता है और हम इसे अपने पोर्टल में और आगामी वर्ष में रिपोर्ट कर रहे हैं। हम अधिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने की योजना बना रहे हैं, एलएसडीजी को उन्मुख कर रहे हैं, एलएसडीजी को जनजातीय विकास योजना में कैसे एकीकृत किया जाए। इसलिए, ये प्रमुख क्षेत्र हैं और हम अधिक अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रथा/अभ्यास के आधार पर हस्तांतरण की तैयारी के लिए नियम क्या हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है।

26. श्री कालू सिंगुजाला डीएससी सदस्य, **मध्य प्रदेश** - मेरा मध्य प्रदेश से एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश में अब तक केवल 124 नई ग्राम सभाएं बनी हैं और आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?

27. डॉ. देवेश कुमार मिश्रा, **मध्य प्रदेश**- मध्य प्रदेश में एक राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है| आप भी सदस्य हैं। सरकार ग्राम सभा का निर्णय नहीं ले सकेगी। जब तक लोगों के बीच यह मांग नहीं उठती कि हमें पेसा ग्राम सभा करनी है, हमें लोगों को प्रेरित करना है, हमें लोगों के बीच जाना है, यह लोगों का पूर्ण अधिकार है। हम नई ग्राम सभाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय है। इसमें एसडीएम परीक्षण करेंगे और परीक्षण के बाद अगर उन्होंने पाया कि आवेदन सही है तो वह उस गांव को पेसा गांव घोषित कर देंगे। कितने गाँव इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हम लोगों को ग्राम सभा के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आप में से बाकी लोग भी हमारे साथ हैं।

28. श्री विवेक भारद्वाज, **सचिव**, **पंचायती राज मंत्रालय**, **नई दिल्ली** - ग्राम सभाओं में कम जनभागीदारी की बात कई बार कही गई है। श्री कावे जी ने भी इस बारे में बात की है। ग्राम सभा में अधिक संख्या में ग्रामीण उपस्थित हों इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे? आप जिले में हैं, आप सरपंच हैं| कृपया हमें बताएं कि ग्रामीण क्यों नहीं आते और इसके लिए क्या करना चाहिए। ग्राम सभाएँ पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रही हैं, फिर भी कम लोग भाग लेते हैं।

29. श्री कावे जी - हम अधिक से अधिक मतदाताओं को ग्राम सभा में आने के लिए जागृत/ प्रेरित कर सकते हैं। हम सबको पेसा कानून के बारे में बताएंगे। पिछले 2 वर्षों से जब भी हमारी पंचायत में ग्राम सभा होती थी तो बहुत कम संख्या में लोग होते थे, शायद 20% ही। लोग ग्राम सभा का महत्व नहीं जानते, वहां अलग-अलग पार्टियों के लोग होते हैं, इसलिए मतदाता नहीं आये, यह भी एक कारण है। जब से मैं आया हूं, लोगों को समझाने के बाद कई अच्छे मतदाता सक्रिय हो गये हैं| हम बेहतर ग्राम सभा के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं।

30. श्री प्रशांत दुधाड़े, **बीएआईएफ संस्था -** मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहता हूं। ग्राम सभा में ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे? समूह ग्राम सभा में स्वीकृत कार्य कब पूरा होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यह 3 साल में होगा या 5 साल में, इसे लेकर लोगों को हर समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि मेरा काम समय पर नहीं होता है, मैं ग्राम सभा में जाकर फॉलोअप करता हूं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर दिक्कतें होती हैं|

सत्र-II: पेसा क्षेत्रों में लघु वनोपज और लघु खनिज

अध्यक्ष- श्री. एकनाथ दावले- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र

1. अध्यक्ष, श्री एकनाथ दावले: लघु वन उपज पेसा पंचायतों के लिए एक अच्छा राजस्व स्रोत है और गढ़चिरौली क्षेत्र जैसी महाराष्ट्र में कई सफलता की कहानियां हैं। अब इसकी जागरुकता इतनी है कि कुछ जगहों पर लोग जनहित याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। वर्ष **1997** में लघु वनोपज को पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया और इसके लिए नियम भी बनाये गये। लघु खनिजों के लिए नियम वर्ष **1998** में बनाए गए और इसके लिए अनिवार्य प्रावधान भी किया गया। इसकी अनुशंसाओं पर अमल करने की जरूरत है। लघु वन उपज के दोहन के बंटवारे की समीक्षा की भी बात कही गई है। तेंदूपत्ता एवं बांस की नीलामी की दर, प्रक्रिया, इस संबंध में अधिसूचना की आवश्यकता है। वर्ष **2021** से **2023** के दौरान ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज से **142** करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिली और इस अवधि में लघु खनिज से **250** करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिली। महाराष्ट्र आदिवासी विकास निगम एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसके पास सीएफआर वाले छोटे उत्पादों, औषधीय उत्पादों को कई अन्य स्थानों पर खरीदने की व्यवस्था है। अब अधिक लोग सीएफआर में काम कर रहे हैं। इसका पैमाना फिलहाल ज्यादा नहीं है लेकिन लोग सामुदायिक वन अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसे पट्टे पर लेने के लिए तैयार हैं। यह उनके लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। इसके अलावा दीर्घकालिक टिकाऊ/स्थायी राजस्व संसाधनों के लिए वन अधिकार समितियों को सीएफआर समितियों में एकीकृत करना हो सकता है। सरकार के पास खनिजों को लेकर एक योजना है और इस पर गहनता से चर्चा करने की जरूरत है कि बाकी राज्यों में क्या प्रावधान है और समाज इसे किस नजरिये से देख रहा है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त समिति की आवश्यकता है।

2. श्री. रवि प्रसाद, उप वन संरक्षक, डांग (दक्षिण) प्रभाग, गुजरात: गुजरात राज्य में, वर्तमान में, लघु वनोपज के संग्रह, इसकी बिक्री, मूल्य संवर्धन, जो भी किया जा रहा है, नियम, विनियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं पेसा कानून के तहत पालन नहीं किया जाता है| यहां लघु वनोपज (तेंदू, औषधीय उत्पाद) काफी बिखरी हुई है और इसके बिखरे होने के कारण बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। दैनिक आजीविका के साधन के रूप में, स्थानीय लोग पास के गांव के जंगल में जाते हैं और वहां से एमएफपी इकट्ठा करते हैं और उन उत्पादों को साप्ताहिक स्थानीय बाजारों (हाट) में बेचते हैं। बांस एक ऐसा उत्पाद है जहां किफायती पैमाने पर उपलब्ध है। ग्राम सभा अपना निर्णय लेती है और वे स्थानीय युवाओं को पारिश्रमिक देने के लिए बांस की कटाई करते हैं और फिर इसे खुले बाजार में बेचते हैं।

ग्राम सभा स्तर पर कई निकाय और समितियाँ मौजूद हैं, जैसे एफआरए की वन अधिकार समिति, वन संरक्षण समिति जिसे लघु वनोपज, संयुक्त वन प्रबंधन समिति आदि पर अधिकार दिया गया है। हालाँकि उनका संगठन और सदस्य भागीदारी एक ही है, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत अलग प्रतीत होता है। इन समितियों को एकीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार भूमि, लघु वनोपज और खनिज उत्पादन को भी एकीकृत करने की प्रक्रिया एक ही अधिनियम के तहत हो सकती है।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो भी लघु वनोपज संग्रहित किया जाएगा उसका मूल्य संवर्धन करके जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) को दिया जाना है चाहे वह शहद हो, सफेद मूसली हो, मशरूम हो, जो भी उसका मूल्यवर्धित उत्पाद हो।

एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है लेकिन यह विभिन्न विभागों द्वारा किये गये स्वतंत्रता प्रयासों से हुआ है। बाजार में दरें हैं और वही मिलता है। हालांकि सरकार ने लघु वनोपज के लिए एमएसपी की घोषणा की है, क्योंकि वे अपने उत्पाद खुले बाजार में बेचते हैं, इसलिए उन्हें अपेक्षित एमएसपी नहीं मिलता है।

जहां तक गौण खनिजों का संबंध है, इसमें कुछ कानूनी विवाद शामिल हैं क्योंकि यदि वन क्षेत्र में कहीं भी खनन करना है, तो एफसीए का प्रावधान होना आवश्यक है। कुछ स्थानों पर, जहां स्थानीय रूप से आवश्यक खनिज हैं, गुजरात सरकार ने पहले ही उन विशेष पैच के लिए एफसीए कर दिया है और जब भी ग्राम सभा वहां खनन के लिए प्रावधान करती है, तो कलेक्टर के आदेश से, कलेक्टर के निरीक्षण में उस खनन को करने की अनुमति दी जाती है।

3. श्री. सचिन मिरूपा, प्रधान, कोकसर ग्राम पंचायत, जिला लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश: हमने संसाधन योजना और प्रबंधन (आरपीएमसी) की एक समिति बनाई थी और इस आरपीएमसी के आधार पर अब हम लघु जल निकायों और लघु वन उत्पादन से संबंधित प्रयास करते हैं। हमारे पास संरक्षण, सुरक्षा, प्रबंधन और योजना से संबंधित विचार/ प्रस्ताव है। इस पर काम शुरू हो चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पेसा के साथ मिलकर अपने समुदाय के वन अधिकारों का ध्यान रखें। क्योंकि एफआरए भी हमारे पेसा से अलग नहीं है| अगर मैं संसाधनों की बात करूं तो हमारे पास कई जड़ी-बूटियां हैं। हमारे यहां बहुत सारी रेत है और यह हर तरह के निर्माण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम चाहते हैं कि रेत संरक्षित रहे। जब भी हर क्षेत्र में रेत जाती है तो पंचायत से सलाह-मशविरा करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि विभाग पंचायत से सलाह लेना जरूरी नहीं समझते। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से इस पर प्रबंधन कैसे ला सकते हैं, इस पर काम करेंगे। हमारे पंचायती राज विभाग को सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत है| हमारे पास कई औषधीय प्रजातियाँ हैं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं उसमें हमारी एक अलग परंपरा है जिसे सवादिका के नाम से जाना जाता है, जो लोग इसका उपयोग करते हैं वे इसके संग्रहण के लिए हिमालय क्षेत्र में आते हैं लेकिन अब तक हम उनके संग्रह में अपनी भूमिका नहीं निभा पाए हैं। इन सबमें पंचायत का अहम योगदान जरूर है, लेकिन उस योगदान में हमारी भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द हम इस पर काम करेंगे और मजबूती से सामने आएंगे। हम आय की बात कर रहे थे, पंचायत को कैसे सक्षम बनाया जाए, इससे हमें बाजार पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है, लेकिन हम एक समुदाय के जंगल पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाते। हमारे क्षेत्र में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का भी मुद्रीकरण किया जाना चाहिए। हमें इस मामले में सभी सम्मानित लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है और हम अपनी तरफ से यह प्रयास करेंगे। हम भी अपनी ग्राम सभा द्वारा नया नियम बना सकते हैं। कृपया आप जैसा चाहें मार्गदर्शन दें।

4. श्री. सुधीर सावंत, **निदेशक पेसा**, **राज्य पेसा सेल**, **महाराष्ट्र:** महाराष्ट्र में 4 लघु वनोपज हैं। सबसे महत्वपूर्ण है तेंदूपत्ता। इसकी न्यूनतम कीमत वन विभाग द्वारा तय की जाती है। महाराष्ट्र में ग्राम सभा के लिए दो विकल्प हैं। यदि उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है तो वह इसका निर्धारण वन विभाग को सौंप सकता है। वह विभाग इसके पूर्ण निस्तारण एवं विक्रय की व्यवस्था करता है। रॉयल्टी की रकम ग्राम सभा को वापस कर दी जाती है। दूसरा विकल्प यह है कि ग्राम सभा स्वयं एक प्रस्ताव पारित कर लघु वनोपज की नीलामी कर सकती है। आम तौर पर ऐसी नीलामी की रकम वन विभाग द्वारा तय ऑफसेट कीमत से ज्यादा होती है| दूसरे विकल्प में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र में मिल रहा है| महाराष्ट्र में गौण खनिजों के संबंध में ऐसा कोई मूल्य निर्धारण नहीं है; केवल अनुशंसा ही होती है जो बिक्री या पट्टे से पहले ली जाती है।

महाराष्ट्र की लगभग सभी ग्राम पंचायतों के पास जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक जैव विविधता रजिस्टर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनिवार्य कर दिया था। लेकिन वह जैव विविधता रजिस्टर अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। यदि ऐसा होता तो लोगों को अपने गांवों के आसपास के जंगलों में लघु वनोपज का अंदाजा होता। बीडीओ के रूप में मैंने श्री मिलिंद जी के साथ मिलकर कुछ प्रयास किये। स्कूली बच्चों को अपने गांव क्षेत्र में क्या-क्या है, उसका संकलन करने का अभ्यास कराया गया। बच्चों ने जैव विविधता का अध्ययन किया और प्रत्येक गाँव की जैव विविधता को बहुत अच्छे ढंग से दर्ज किया । अगर स्कूली बच्चों की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था है तो यह भी अच्छी बात है| यदि वन विभाग के विशेषज्ञ कम से कम पेसा क्षेत्र में जैव विविधता रजिस्टर को ठीक से बनाए रखें, तो लोगों को पता चल जाएगा कि उनके आसपास के जंगल में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण लघु वनोपज क्या है और इसका मूल्य वर्धन कैसे किया जा सकता है। लोगों के पास अब तक यही जानकारी है कि तेंदूपत्ता का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है और आप इसकी नीलामी कर सकते हैं। अगर वन विभाग के विशेषज्ञ ग्राम सभा में आएं तो लोगों को बाकी जानकारी भी मिल सकती है|

वर्तमान वन अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सर्वप्रथम लघु वनोपज की सूची प्रस्तुत की गयी। बाद में 1997 में लघु वनोपज विनियमन अधिनियम आया। तदनुसार, 33+ अन्य के संबंध में परिभाषाएँ प्रदान की गईं। इसके अनुसार, जो कुछ भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है उसे लघु वनोपज के रूप में गिना जाता है।

अब तक राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर से प्राप्त भू-स्थानिक जानकारी का उपयोग छोटे ग्राम विकास योजना के लिए नहीं किया गया है, लेकिन एफआरए के तहत सीएफआर या आईएफआर के लिए इसका उपयोग कई स्थानों पर किया गया है। हालांकि, पेसा ग्राम क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए नक्शा तैयार कर लगाना होगा| यदि इसके लिए भू-स्थानिक जानकारी का उपयोग किया जाए तो पेसा गांवों की अधिसूचना की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

5. लघु वनोपज के संबंध में चर्चा हेतु सांकेतिक बिंदु (महाराष्ट्र):

(i) क्या लघु वनोपज की रॉयल्टी और बिक्री से राजस्व अर्जित हुआ?

महाराष्ट्र में राजस्व रॉयल्टी के साथ-साथ लघु वनोपज की बिक्री से भी अर्जित किया जाता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वन विभाग लोगों को रॉयल्टी राशि वापस देता है और यदि ग्राम सभा स्वयं खरीद प्रक्रिया करती है, तो उन्हें नीलामी से पैसा मिलता है।

(ii) क्या इस प्रयोजनार्थ डेटा बेस का रखरखाव किया गया है?

एफआरए के तहत लघु वनोपज है। पेसा के अंतर्गत लघु वनोपज है। वन अधिनियम के अंतर्गत लघु वनोपज भी है। जब लघु वनोपज के तीन या चार अधिनियम चल रहे हों तो लघु वनोपज के एकल स्वामित्व को सुव्यवस्थित और तय करने की एक विधि होनी चाहिए।

(iii) क्या अर्जित राजस्व का उपयोग जीपीडीपी के माध्यम से किया गया?

महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत अधिनियम में ग्राम निधि का प्रावधान है, जिसमें प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के राजस्व का कोई भी स्रोत ग्राम निधि में जमा किया जाना चाहिए। लेकिन लघु वनोपज को अभी तक

जीपीडीपी में नहीं गिना गया है। ग्राम सभा के खाते में जाता है और अभी तक जीपीडीपी में नहीं गिना जाता है। ऐसा होना चाहिए था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

(iv) क्या इस प्रयोजनार्थ जनशक्ति लगाई गई है?

वन अधिकार अधिनियम के तहत समिति गठित; अन्यथा, पेसा के तहत वर्तमान में समिति इसके लिए कार्यरत है।

6. लघु खनिज के संबंध में चर्चा के लिए सांकेतिक बिंदु (महाराष्ट्र):

(i) क्या पेसा क्षेत्रों में रॉयल्टी और लघु खनिजों की बिक्री से राजस्व अर्जित हुआ?

अभी तक हमें लघु खनिज से राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन 2015-16 से पहले जिला खनन फाउंडेशन नियमों ने इसकी इजाजत दे दी थी| तदनुसार, ग्राम सभा को उस क्षेत्र के लिए फंड का कुछ हिस्सा मिलता था जहां से लघु खनिज एकत्र किए जाते थे। अब प्रावधान बदल दिया गया है। जिला खनन फाउंडेशन के बदले हुए नियम-कायदों के मुताबिक कमेटी तय करती है कि उसके फंड का इस्तेमाल किस तरह किया जाए| यदि इन बदले हुए प्रावधानों के तहत डीएमएफ का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र की ग्राम सभा को वितरित किया जाता है जहां से लघु खनिज एकत्र किए जाते हैं, तो यह उस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में जनजातीय उपयोजना के तहत ग्राम सभा को उस क्षेत्र से पांच प्रतिशत का फंड मिलता है जहां से लघु खनिज एकत्र किए जाते हैं।

(ii) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई डेटा बेस का रखरखाव किया गया है?

ग्राम सभा के पास कोई डेटाबेस नहीं है लेकिन राज्य खनन विभाग के पास डेटाबेस है।

(iii) क्या अर्जित राजस्व का उपयोग जीपीडीपी के माध्यम से किया गया?

लघु खनिजों से ग्राम सभा को राजस्व नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका उपयोग जीपीडीपी में नहीं किया जाता है।

(iv) क्या इस प्रयोजनार्थ जनशक्ति लगाई गई है?

जी, नहीं।

7. श्री देवेश प्रसाद मिश्रा, उप निदेशक, मध्य प्रदेश: हम अभी शुरुआती चरण में हैं**,** इसलिए ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास संघ**,** एक सरकारी निकाय**,** लघु वनोपज का प्रबंधन करता है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। **267** ग्राम सभाओं ने इस समिति को अपना लिया है और तेंदू पत्तों का संग्रहण और बिक्री शुरू कर दी है। इसकी अपनी आय करीब **1.28** करोड़ रुपये है | इससे पता चलता है कि यह अभी शुरुआती चरण में है| राज्य केवल तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन के क्षेत्र में है। इसे और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त एसोसिएशन के सहयोग से वन अधिकार समिति लघु वनोपज के मूल्यों का निर्धारण करेगी। हालाँकि**,** प्रक्रिया विवरण का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं किया गया है। यह

प्रक्रिया पूरी होने पर ही सारी उलझनें समाप्त होंगी।

दूसरा, हमारे पास लघु खनिजों को लेकर जो नियम हैं, उसमें मोटे तौर पर चार बिंदु हैं। लघु खनिज नियमों की अपनी सूचियाँ होती हैं और जब हम उन सूचियों में लघु खनिजों के लिए किसी को पट्टा देने या अनुमति देने की बात करते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को उन्हें मंजूरी देने का अधिकार होता है। इसे भी विस्तार से बताने की आवश्यकता है। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है या अनुमति नहीं दी जाती है या आंशिक अनुमति दी जाती है तो ग्राम सभा क्या करेगी। इस पर अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है। इन सबके बारे में विस्तार से जानने की जरूरत है| यदि ग्राम सभा की अपनी सोसायटी है या लघु खनिज को किसी को पट्टे पर देना है तो ग्राम सभा खनन विभाग को आवेदन करेगी। खान विभाग ग्राम सभा को प्राथमिकता देगा। इस परिदृश्य के अनुसार, अब तक हमारे राज्य में लघु खनिज और लघु वनोपज के संबंध में बहुत काम किया जाना बाकी है।

8. श्री संतोष कुमार गोयल, उपायुक्त एवं उप सचिव, राजस्थान: हमारी मुख्य लघु वनोपज तेंदू पत्ते**,** बांस**,** भांग और लकड़ी हैं। जब बांस और तेंदू पत्तों की नीलामी की जाती है**,** तो इसके लिए अलग से कोई ग्राम सभा दर नहीं होती है। इसे वन दर के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। लघु खनिजों के संबंध में ग्राम सभा से अनुमति लेने का प्रावधान है**,** लेकिन वर्तमान में पेसा ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली जाती है| राजस्व संग्रहण के संबंध में जानकारी वर्तमान में समेकित तरीके से एकत्र की जाती है**,** अलग से नहीं। डेटा संग्रहण के लिए**,** हमने अभी राज्य स्तर पर एक**,** जिला स्तर पर **8** और ब्लॉक स्तर पर **55,** ग्राम स्तर पर **1751** जनशक्ति स्वीकृत की है। हमने कुल **1815** पद निकाले हैं लेकिन कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। हम उन्हें जल्द ही भरने जा रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करने की जरूरत है**;** जागरूकता कैसे लायी जाएगी**;** समन्वय कैसे होगा सहित हम इस तरह के डेटा और अलग-अलग राजस्व धाराओं पर भी कार्रवाई करेंगे|

प्रश्नोत्तरी सत्र

9. अध्यक्ष, श्री एकनाथ दावले: मुझे लगता है कि एफआरए**,** पेसा और एफसीए की मदद से अनुसूचित क्षेत्र के समुदायों का समग्र विकास किया जा सकता है। एफआरए के महाराष्ट्र में आने से पहले**,** इन समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के तहत मामूली उपज का कुछ हिस्सा मिलता था। इसलिए**,** ऐसा नहीं है कि एफसीए अतिक्रमण करता है। तीनों अधिनियमों को पेसा के साथ जोड़ा जा सकता है और पेसा को अंबरेला अधिनियम बनाया जा सकता है। दूसरा**,** हमें वन उपज की स्थिरता पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आज बांस के सारे बागान काट दिए जाएं तो अगली पीढ़ी के लोगों को बहुत नुकसान होगा। यह देखने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए कि किसी को लघु वनोपज किस अनुपात में निकालना है। इसके लिए कोई स्पष्ट फॉर्मूला भी तय किया जाना चाहिए| यदि हम ऐसा करते हैं**,** तो हम बहुत अधिक धनराशि सुनिश्चित कर लेंगे।

10. मिलिंद थट्टे, **निदेशक**, **तीर (टीईईआर) फाउंडेशन**, **महाराष्ट्र की गैर-सरकारी संस्था:** मैं इस स्पष्ट संघर्ष के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एफआरए की धारा 2 में ग्राम सभा की परिभाषा है और ग्राम सभा की परिभाषा यह है कि यह एक ग्राम सभा होगी। इसमें पंचायत का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए एफआरए की ग्राम सभा पंचायत में नहीं होगी। यह गांव में होगी। इसके बाद एफआरए की धारा 2(पी) में गांव की जो परिभाषा है, वही पेसा 4(बी) में गांव की परिभाषा होगी। इसलिए, एफआरए की ग्राम परिभाषा और पेसा की ग्राम परिभाषा के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। अत: ग्रामसभा भी दोनों के लिए एक समान है। लोग एफआरए को पसंद करते हैं क्योंकि एफआरए के नियम पूरे देश में समान हैं। इसकी निगरानी और मंजूरी देने वाली समितियां अपने-अपने स्थान पर हैं। कहां अपील करनी है, कहां शिकायत करनी है, ये सब एफआरए में बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। इसलिए यदि आपको एक बार एफआरए में

अधिकार मिल गए तो सीमाओं के साथ शीर्षक आपके हाथ में है। इसीलिए लोग एफआरए को पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में, जहां ग्राम सभाओं को एफआरए सामुदायिक वन अधिकार मिले, जिसमें प्रबंधन अधिकार भी शामिल हैं, उन्होंने तेंदू पत्तियों और बांस का व्यापार करना शुरू कर दिया। एक बार जब धनराशि आ जाती है तो उसमें थोड़ी सी राजनीति भी आ जाती है। बाद में ऐसा हुआ कि पंचायत के प्रमुख लोगों और नौकरशाही के कुछ लोगों को भी लगा कि ये लोग बहुत पैसे का लेन-देन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 54 (क) में प्रावधान किया कि ग्राम पंचायत लघु वनोपज का प्रबंधन करेगी। महाराष्ट्र में पेसा के नियम कहते हैं कि लघु वनोपज या लघु खनिज से जो पैसा आएगा, यानी लघु खनिज के साथ-साथ लघु वनोपज से जो आय होगी, वह ग्राम सभा निधि में जमा की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पेसा के नियम कह रहे हैं कि यह पैसा ग्राम सभा को जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अधिकार ग्राम सभा का होगा। ग्राम पंचायत अधिनियम कह रहा है कि धनराशि ग्राम पंचायत के पास रहेगी। तो, ग्राम सभा तेंदूपत्ता की निविदा कर रही थी, दो-तीन साल तक यह सफल रही और खूब पैसा मिल रहा था। इसके बाद कुछ बीडीओ/विस्तार अधिकारियों ने यह प्रचारित किया कि टेंडर सरपंच के नाम से होगा। इसलिए टेंडर ग्राम पंचायत करेगी। तो यह एक काल्पनिक बहस बन गई और वास्तव में पेसा बनाम एफआरए जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि दोनों में परिभाषा समान है। तीसरा एक्ट एफसीए इसके बीच में नहीं आता है| एक बार अधिकारों का स्वामित्व साफ़ हो जाने के बाद, एफसीए की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ जैव विविधता अधिनियम में केंद्र सरकार को मामूली बदलाव करना होगा| जैव विविधता अधिनियम के अनुसार, जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार स्थानीय सरकार और ग्राम पंचायत के हाथों में है और जैव विविधता अधिनियम के तहत जो जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई जाती है वह पंचायत द्वारा बनाई जाती है न कि ग्राम सभा द्वारा। उस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा समितियों का गठन किया जाए।

11. श्री संदीप मिन्हांस, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: यदि वह पैसा जीपीडीपी के अंतर्गत आता है**,** तो इसे कैसे खर्च किया जाएगा**?** उस गांव का हिस्सा कैसे बनेगा**?** उस गाँव की आज़ादी कहाँ होगी**?** हो सकता है कि एक बार यह केंद्रीकृत निधि का हिस्सा हो जाए**,** तो उस गांव का पैसा किसी अन्य मद में खर्च किया जाएगा!

12. अध्यक्ष, श्री एकनाथ दावले: यह समस्या अनुसूचित क्षेत्र में हर जगह है। **50-50** घरों वाले गांव हैं। गांव का क्षेत्रफल कम से कम पांच से आठ किलोमीटर तक फैला हुआ है। पैसा वहां से आ रहा है**,** जंगल से आ रहा है और फायदा कोई और ले रहा है। जैसे पानी के साथ होता है**,** नल कहीं है और पानी कोई और ले रहा है।

13. श्री अर्जुन के आर, उप वन संरक्षक, बीपीडी, पीसीसीएफ कार्यालय (एचओएफएफ), नागपुर: कई मामलों में बाजार संबंधों की कमी के कारण लघु वनोपज की कटाई और दोहन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए**,** अकोला में जहां **1000** टन से अधिक शहद निजी लोगों द्वारा निकाला जाता था**,** लेकिन जेएफएमसी द्वारा नहीं**,** क्योंकि निजी लोगों के हैदराबाद और उससे आगे तक संपर्क थे जो आधुनिक तकनीक का भी उपयोग कर रहे थे। यदि हम इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में मांग और आपूर्ति संबंध विकसित करें**,** तो स्थिति में काफी सुधार होगा।

14. श्री शेखर सावंत, निदेशक, राज्य पेसा सेल, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में जो जीपीडीपी बनाई जाती है वह ग्राम सभा द्वारा बनाई जाती है। यह हर ग्राम सभा के लिए अलग-अलग है। केवल संकलन किया गया है और इसे पंचायतवार अपलोड किया गया है। ग्राम निधि में पैसा आता है तो खर्च ग्राम सभा के अनुसार होता है। उन्हें ग्राम सभा की योजनाओं के मुताबिक पैसा मिलता है और **5%** फंड भी जीपीडीपी से आता है और उसका उपयोग होता है। ग्राम सभा की योजना यहीं से बनती है। तात्पर्य ये कि ये पैसा ग्रामसभा को

मिलता है। यह पूरा खर्च उनके क्षेत्र में होता है, बाहर नहीं।

15. श्री चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पैसा कौन खर्च कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जब जीपीडीपी बनाए जा रहे हों, तो यह उनके संसाधन लिफाफे/ रिसोर्स एनवलेप में प्रतिबिंबित होना चाहिए। भले ही वह खर्च शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग या मध्याह्न भोजन बनाने वाला कोई भी कर रहा हो, वह जो कर रहा है वह कर सकता है। लेकिन जब जीपीडीपी तैयार की जा रही है तो उसमें यह दर्शाया जाना चाहिए कि इस पंचायत के चार स्कूलों में **200** बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया और इस पर दो लाख रुपये खर्च किये गये। जीपीडीपी में परिवर्तन **22** प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित व्यय का होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायत को जीपीडीपी में दिखाए गए सभी कार्यक्रमों को लागू करना होगा। पंचायत को उस व्यय को जीपीडीपी में दिखाना चाहिए।

तो मुख्य प्रश्न यह है कि लघु खनिजों या लघु वन उपजों से जो पैसा आ रहा है, उसे कौन खर्च कर रहा है? जीपीडीपी में यह दिखाया जाना चाहिए कि वह पैसा पंचायत में कहां खर्च हुआ और उससे क्या हासिल होगा? वह दिखना चाहिए। हम इस पर बात कर रहे हैं तो इस पर कैसे आगे बढ़ना है इस पर चर्चा की जा रही है।

16. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: एक बात मैं पूछना चाहता था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर जीपीडीपी की बात आती है, तो यह ग्राम पंचायत की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा**?** आप ऐसा क्यों सोचते हैं**?**

17. श्री संदीप मिन्हांस, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: इससे ग्राम पंचायत की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी बल्कि ग्राम सभा की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। क्योंकि एक पंचायत के अंतर्गत **5-6** ग्राम सभाएं होती हैं। सबसे पहले, प्रत्येक ग्राम सभा का संपूर्ण संकल्प (जीपीडीपी) संसाधनों और उन संसाधनों की योजना को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसा देखा जा सकता है कि छोटे गांव, जो टोले हैं, ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं। यदि एमएफपी के लिए संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) का गठन किया जाता है, तो वह किसकी होगी**?** क्योंकि मेरा जंगल या मेरी छोटी-मोटी उपज पंचायत से पांच किलोमीटर दूर है। न तो मैं वहां जाता हूं और न ही मेरा इससे कोई लेना-देना है.' मैं यहां योजना बना रहा हूं और मेरे संसाधन वहां जा रहे हैं। तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ है**?**

18. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: जीपीडीपी में जो कार्य दर्शाया गया है, वह उस गांव में किया जाएगा। सीधी सी बात है, पैसा जहां से आता है वहीं खर्च कर दिया जाता है।

19. श्री संदीप मिन्हांस, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: पारदर्शिता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है।

20. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: अत: स्पष्ट है, है ना**?** पैसा जहां से आता है वहीं खर्च कर दिया जाता है। यह कौन स्वीकार करेगा कि रुपया सब तुम्हारा है और मेरे यहाँ खर्च हुआ है**?**

21. राजस्थान के प्रतिभागी: इस मामले में हिमाचल प्रदेश को दिक्कत है क्योंकि उनकी ग्राम पंचायत पूरी ग्राम सभा के साथ को-टर्मिनस है, यानी पेसा की पूरी पंचायत एक पंचायत है, यह बिल्कुल गांव नहीं है। राजस्थान में भी कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि पंचायत के राजस्व गांव को पेसा की ग्राम सभा माना जाता है। हमारा हर गांव आठ से दस किलोमीटर के दायरे में है और हर गांव का 'फलिया' अलग-अलग है। वे वहां अपनी पंचायतें करते हैं। गांव से जुड़े विवाद, हर क्षेत्र में पूजे जाने वाले देवता अलग-अलग हैं और **8-10** किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग वहां की पंचायतों में शामिल नहीं हो रहे हैं| इसीलिए हमें

राजस्थान में भी सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए हर टोले और हर पाड़ा को पहचानना होगा लेकिन राजस्थान में नियम नहीं बने हैं।

22. डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी, डीडीजी, यशदा, महाराष्ट्र: इसके लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान में गाँव की तीन परिभाषाएँ हैं, एक गाँव की परिभाषा जो एमएनआरसी में है, जो राजस्व गाँव है और जो गाँव महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में है, वह ग्राम पंचायत है।

23. अध्यक्ष, श्री एकनाथ दावले: लघु खनिज थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए यह एक विवादास्पद मुद्दा भी है। यह बहुत पारदर्शिता से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई लोगों के परस्पर विरोधी हित हैं। यह एक ही दिन में नहीं होगा| हालांकि एमएफपी के बारे में स्पष्टता है, लघु खनिजों पर काम करने की जरूरत है। वन उपज के संबंध में हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं और अनुभव साझा करने में कुछ स्थिरता संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जैव विविधता का भी मुद्दा है। इन दोनों चीजों, यानी जैव विविधता और स्थिरता एवं तीनों अधिनियमों को एक साथ जोड़कर, हम एक रास्ता तलाश सकते हैं।

———

सत्र III-पेसा के कार्यान्वयन को मजबूत करने में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका

अध्यक्ष- श्री आर चिन्नादुरई, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

1. अध्यक्ष, श्री आर चिन्नादुरई: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अनुसंधान से पता चलता है कि सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित, जागरूक, प्रतिबद्ध और प्रेरित नेता बड़ी संख्या में अपनी ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी को आकर्षित करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों को आकर्षित करने के लिए पंचायतों के नेताओं में ये गुण बुनियादी आवश्यकता हैं। ऐसे मामलों में गैर-आदिवासी क्षेत्रों में सिविल सोसायटी संगठन पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे पंचायतों के नेताओं के बीच जागरूकता, प्रेरणा और सक्रिय रवैये के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं।

लोगों को लगता है कि पंचायत हमारी सबसे निकटतम सरकार है और हमारे क्षेत्र, हमारे लोगों के विकास में इसकी सीधी भूमिका है। इसलिए, सिविल सोसाइटियों के एक मंच की सहायता करने की आवश्यकता है, जिनके पास अपने हितों और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त जागरूकता, बेहतर अभिव्यक्ति, प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इसलिए इस पंक्ति में गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी को प्रमुख भूमिका निभाने की बहुत आवश्यकता है। मंत्रालय के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में भी उनकी अहम भूमिका है।

2. श्री मिलिंद थट्टे, तीर फाउंडेशन, महाराष्ट्र: भारत की ग्राम स्वशासन की मूल परंपरा सभी आदिवासी क्षेत्रों में बरकरार है। यह सिर्फ जनजातियों की ही नहीं बल्कि हम सभी की परंपरा है। लेकिन यह जनजातियों के बीच जीवित है। हमने इसे खो दिया है| इसके विभिन्न कारण हैं। इस प्रकार, पेसा का उद्देश्य भारत की मूल परंपराओं को बनाए रखने में मदद करना है, न कि केवल कुछ आदिवासियों को आरक्षण देना।

ग्राम सभा में लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। कुछ लोग खिड़की पर खड़े हैं। कुछ लोग बरामदे में खड़े हैं। कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे भाग लेगा जब उसके पास बैठक के अंदर बैठने की जगह ही नहीं होगी? इसके अलावा अपनी बात व्यक्त करने का कोई मौका नहीं मिलता। जब ग्राम सभा को पंचायत से अलग कर टोले में ले जाया जाता है तो ग्राम सभा बोलने लगती है। आप जितनी चाहें उतनी चर्चा कर सकते हैं। लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सभी आवाजें सुनी जाती हैं। किसी भी राज्य के आदिवासी गाँव में अलग से महिला ग्राम सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। गांव के विवादों को सुलझाने के लिए जब लोग बैठते हैं तो महिलाएं भी बैठती हैं और अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से रखती हैं|

यह सलाह दी जाती है कि ग्राम सभा के कुछ लोग कार्यवाही लिखना और उनका रखरखाव करना सीखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि पंचायत सचिव नहीं आएंगे तो कार्यवाही नहीं लिखी जाएगी और ग्राम सभा नहीं होगी।

विधायिका और कार्यपालिका को अलग रखना होगा ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके। यदि आप ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का विलय कर देंगे और सरपंच, प्रधान बना देंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में भी ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन लाया गया है, जिसके अनुसार सरपंच हमेशा ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा| यह बिल्कुल प्रतिगामी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच से

अलग होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री से अलग होना चाहिए। इन सभी ग्राम सभाओं में लोग हर बैठक में अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति सचिव को मनोनीत करते हैं। यदि सचिव वहां नहीं आते हैं तो महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम धारा 54सी में प्रावधान है कि अध्यक्ष/ प्रधान उनके स्थान पर किसी को सचिव मनोनीत करते हैं। कार्यवाही स्थानीय भाषा में लिखी जा सकती है।

पिछले तीन वर्षों में लगभग आधे समय तक महिलाएँ ग्राम सभाओं की अध्यक्ष बनी हैं। अब ग्राम सभा का 5% ट्रस्टी निधि एक अनाबद्ध/अनटाइड निधि है। अनटाइड निधि देना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वे इसे जेएफएम आदि में ले रहे थे। शुरुआत में लोग गलतियाँ करते हैं, गलत चीजों पर खर्च करते हैं, कभी-कभी कोटेशन नहीं मांगते हैं। शुरुआत में ये सब ठीक है। आप शुरुआत में साइकिल से गिर जाते हैं लेकिन बाद में आप इसे चला सकते हैं।

जब ग्राम सभा के पास पैसा है तो पारदर्शिता के लिए व्याख्यान या क्षमता निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। आदिवासी समुदाय में पारदर्शिता की आदत पहले से ही है| उन्हें अलग से यह सिखाने की जरूरत नहीं है| बाहर रखेंगे तो पारदर्शिता नहीं आएगी।

हमारे तीन और चार गांवों में लोगों ने रेत खनन बंद कर दिया है क्योंकि आसपास के खेत टूट रहे थे। अत्यधिक रेत खनन होने के कारण उन्होंने इसे बंद कर दिया है। उन्होंने ट्रकों को आने से रोक दिया है और कहा है कि नियंत्रण करना ग्राम सभा का अधिकार है। हम कई जगहों पर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। यदि ग्राम सभा को रॉयल्टी मिलेगी तो ग्राम सभा ही रेत का उचित नियमन करेगी।

3. विमलभाई शाह, एनजीओ, वनवासी कल्याण आश्रम, गुजरात: गुजरात सरकार ने वर्ष 2017 में पेसा कानून लागू किया है। लेकिन इसके कार्यान्वयन के संबंध में अब भी कई खामियां मौजूद हैं। इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि अध्यक्ष कौन होगा**?** अध्यक्षता पेसा गांव के सरपंच करते हैं। यदि आप ग्राम सभा में कोई विषय रखना चाहते हैं तो आपको 5 दिन पहले आना होगा। अगर उन्हें हमारा एजेंडा उचित लगता है तो वे इसे ग्राम सभा में रखते हैं। ठेकेदार ने उनके गांव में बने स्कूल में जो घोटाला किया है**,** उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। कोई केवल वही बात कर सकता है जो अच्छा है। आपको पेसा ग्राम सभा में आलोचना करने का अधिकार नहीं है।

गुजरात के सभी राजस्व गांवों को पेसा गांव घोषित किया गया है। यदि हां, तो पेसा कानून किस उद्देश्य से लाया गया है? यदि एक ही पांच ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत स्वशासन चला सकती है, तो हम जिस टोला या फलिया ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, वह निरर्थक हो जाती है।

पंचायत भवन बड़ा नहीं है। कमरा 10x15 का है। क्या पांच गांवों वाली ग्राम सभा की बैठक ऐसे कमरे में हो सकती है?

पेसा कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग के लिए गांव से उतनी रेत ले सकता है, जितनी उसे जरूरत है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है।

जीएमडीसी गुजरात में बड़ी मात्रा में खनन कार्य करता है और उसे रॉयल्टी के रूप में डीएमएफ फंड मिलता है। लेकिन इसका उपयोग कौन करता है? इसकी शक्तियां कलेक्टर के पास हैं। गांव को कुछ नहीं मिलता जबकि गांव में खनन होता है। जिस गांव से खनिज निकाला जाएगा उसके संबंध में कलेक्टर निर्णय लेंगे कि डीएमएफ की राशि का उपयोग कौन करेगा। ग्राम सभा को एक पैसा भी उपयोग करने का

अधिकार नहीं है। यदि पेसा कानून लागू करना है तो रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत सीधे गांव को मिलना चाहिए। तभी उस गांव के लोग इसके हितधारक बनेंगे और पैसे का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा।

सांकरी करके गांव नर्मदा जिले के अंदर है। सीएफआर का पट्टा मिले काफी समय हो गया है। लेकिन आज भी उसे गांव का तेंदूपत्ता वन विभाग को बेचना पड़ता है। इसे वन विभाग ही एकत्र करेगा। वहां बांस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ग्राम पंचायत को बांस की उपज बेचने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार आज भी उन्हें नहीं मिला है। आज गुजरात में पेसा से गांवों को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। उनके लिए अलग से खाता तक खोलने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यदि कम से कम 5% उन्हें प्राप्त हो तो कोई अपने गाँव में इसका उपयोग कर सकता है; अपने सदस्यों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए कुर्सी खरीद सकते हैं। उन्हें यह अधिकार भी नहीं है।

पेसा पर आज तक गुजरात में किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। आदिवासी समाज के लिए सीएफआर**,** मनरेगा**,** पेसा जैसे बड़े-बड़े कानून बनाये गये हैं। लेकिन वास्तव में नेतृत्व कौन कर रहा है**?** कॉर्पोरेट स्तर पर कलेक्टर**,** डीडीओ**,** अधिकारी जैसे लोग होते हैं! क्या वास्तव में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेसा कानून है**?** अगर वे आदिवासी समाज को नहीं समझेंगे तो आदिवासी समाज के लिए योजनाओं को असल में कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे**?** हमें ऐसे विषयों पर विचार करना चाहिए.

4. श्री प्रशांत दुधाने, बीएआईएफ, एनजीओ, महाराष्ट्र: लोग ग्राम सभा में आने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके मुद्दों का समाधान वहां नहीं किया जा सकता है। हेमलेट स्तर की समस्याओं**,** फालिया स्तर की समस्याओं को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। जो इसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है उसे वहां क्लस्टर लीडर के रूप में चुना जा सकता है। इस तरह हर टोले में जाकर माइक्रोप्लानिंग की जा सकती है और उसके बाद ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों और वहां उठाई गई समस्याओं पर लगातार नजर रखकर उनका निवारण किया जा सकता है। अगर हम ग्राम सभा में किसी बात को मंजूरी देते हैं तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसे पूरा करना ही होगा। इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। यदि यह **2** साल या **3** साल में नहीं होता है**,** तो कोई प्राधिकारी होना चाहिए जिसके पास अपील की जा सके। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी है। यदि ग्राम सभा में हमारे मुद्दे को संबोधित नहीं किया जाता है तो हमें इसमें भाग क्यों लेना चाहिए**?**

जिला योजना समिति स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक मुद्दे उठते हैं। हालाँकि वे विभिन्न चीजों पर चर्चा करते हैं और उन्हें समसामयिक मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। लेकिन अगर हमने बुनियादी आवश्यकता की पहचान कर ली है, तो हमारे लिए अंतिम आवश्यकता का उत्तर देना आवश्यक है। अगर किसी सरकारी स्तर पर इसकी समयसीमा तय कर दी जाये तो यह सभी ग्राम सभाओं के लिए अच्छी बात होगी कि वे इसके लिए ठोस तरीके से अपील कर सकेंगी। हम इसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए संभाल सकते हैं।

दूसरा सुझाव यह है कि समुदाय-आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों या युवा समूहों को उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करके या कुछ आय सृजन गतिविधियाँ करके थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। एक बार युवा मजबूत हो जाएं तो अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटेंगे। अभी, जहां भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वलसाड और नंदुरबार, युवा आगे आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फलां-फलां उनका अधिकार है; हम यह और यह चीज़ चाहते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यह बदलाव आने में 10-20 साल और लग सकते हैं लेकिन यह निश्चित रूप से बदलेगा। यह तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन इसके लिए हमारे वहां मौजूद समुदाय आधारित संगठनों को मजबूत करने की बहुत जरूरत है।

तीसरा, हमारी पंचायत समिति को हर 5 साल बाद नए सदस्य मिलते हैं। पुराने लोग आते हैं तो

उन्हें पंचायती राज व्यवस्था की पूरी जानकारी होती है, लेकिन जो नये लोग आते हैं उन्हें पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी नहीं होती। इसमें कई युवा सरपंच आये हैं। उनके मन में बहुत कुछ है। लेकिन उन्हें उचित दिशानिर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। इन्हें मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि मनरेगा और वित्त आयोग के माध्यम से यह किया जा सकता है तो वे इसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जायेंगे। आज के पंचायत सदस्य बहुत ऊर्जावान हैं। वे करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या करें या कहां से शुरू करें। इसलिए इन्हें मजबूत करना जरूरी है।

महिला सशक्तिकरण भी एक अहम मुद्दा है। ग्राम सभा में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और थोड़ा अलग तरीके से लिया जाना चाहिए। महिलाएं बैठकों में भाग लेने के लिए बाहर नहीं आ रही हैं। हमनें कोशिश की है। हमने उनके लिए अलग से ग्राम सभा का गठन किया है। फिर उनके मुद्दे सामने आये। यदि इस प्रकार इन्हें मजबूत किया जा सके तो यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। पेसा हो या जनरल**,** अगर हम इस तरह से काम कर सकें तो मैं समझता हूं कि ग्राम सभा जैसी कोई ताकतवर मिसाइल नहीं है जो ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी हो सके। अगर ये चारों स्तंभ जमीनी स्तर पर सशक्त हो जाएं तो हमारी ग्राम सभा अपने आप सशक्त हो जाएगी।

5. श्री संदीप मिन्हांस, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: पेसा में बहुत काम करने की जरूरत है। **2011** में नियमावली बनी**,** लेकिन एक भी समिति नहीं बनी। आपने पेसा के तहत एक भी ग्राम सभा का गठन नहीं किया है। एक भी (नोटिफिकेशन) नहीं होगा तो काम कैसे होगा**?** एफआरए में भी मारपीट हुई। **8** साल तक पंचायत से गांवों तक पहुंचने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को लिखना पड़ा कि एफआरए गांव की यह समिति होगी**,** पंचायत स्तर की नहीं। तो चार-पांच साल के इंतजार के बाद **2012** में पहली बार सरकार ने माना कि ये किस तरह की समिति होगी। और इस समय मुझे लगता है कि हम अभी ग्राम सभा को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इसे एक नई तरह की विडंबना के रूप में देखता हूं कि वन अधिकार अधिनियम की ग्राम सभा गांव स्तर पर है**,** जिसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति बनना है।

अभी तक पेसा के बारे में राज्य की ओर से आम धारणा यह रही है कि इसे हम पंचायत में बनाएंगे, जिसकी संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन समिति पंचायत में बनेगी, फिर एक समुदाय ग्राम स्तर पर वन संसाधनों का प्रबंधन करेगा। पंचायत स्तर पर कोई दूसरा इसका संचालन करेगा तो यह झगड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि एमओपीआर को राज्य को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे गांव की इस अवधारणा को क्यों अपना रहे हैं? छोटी-छोटी पंचायतें हैं, बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, हमने छोटी-बड़ी पंचायतें नहीं बनाई हैं। पेसा का उद्देश्य अलग है। आप इसे प्रशासनिक के साथ-साथ अलग से देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप एक स्थापित संस्था से जुड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए मेरा मानना है कि एमओपीआर को इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। सबसे पहले, यह कैसे हो रहा है?

दूसरी बात, जब हम लघु खनिजों की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ पेसा हमसे कहता है कि आपके लघु खनिज आपके लिए होंगे और राज्य उस अधिनियम में बदलाव करता है। गौण खनिज रियायत अधिनियम के मामले में पंचायत से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी रॉयल्टी नहीं देनी होगी। इसमें रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अब किस अधिनियम पर होगा विचार? पेसा के भीतर जो होना ही था वह यह था कि हमारे दूसरे अधिनियम को पेसा के प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाना था।

तीसरी बात जो हर कोई कह रहा है वह यह है कि ग्राम पंचायत का मुखिया पेसा ग्राम सभा का मुखिया भी होता है और उसका सचिव भी होता है। अब अगर संसाधन नियोजन के लिए पांच अलग-अलग समितियां बनाई जाएंगी तो उनकी कार्यवाही कौन लिखेगा**?** क्या पंचायत सचिव के पास पांच अलग-अलग ग्राम सभाओं में जाने और कार्यवाही लिखने का समय है**?** अतः मेरा मानना है कि प्रत्येक पंचायत में एक

राज्य सदस्य को पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त करने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह कम्यूनिटी मोबिलाइज़र के साथ काम नहीं करेगा। पद सृजित कर वहां जाकर पेसा के पंचायत सचिव के रूप में काम किया जा सकता है और उसके लिए वेतन का भी प्रावधान होना चाहिए.

प्रश्नोत्तरी सत्र

6. डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: चूंकि इस बैठक में बहुत विशिष्ट प्रश्न उठाए गए हैं, मैं राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जब आप वापस जाएं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भी कह रहे थे कि राज्य के अधिकारियों को जमीनी स्तर पर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये बातें यहीं सुनीं और फिर वापस जाकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सभी प्रश्न बहुत वैध प्रश्न हैं। एक बेहद संवेदनशील सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम नियमों और मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक उनकी जांच करें। हमें इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए, राज्यों के अधिकारी इन बातों को सही परिप्रेक्ष्य में लें, ये मेरा उनसे आग्रह है।

7. प्रतिभागी: कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में**,** मुझे लगता है कि समन्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। एक-दूसरे का हर तरह से समर्थन करना भी जरूरी है। लोग हमसे पहले भी निराश हो जाते हैं और इसके कारण वे भी पीछे रह जाते हैं और हमारा मनोबल भी पीछे रह जाता है। हम लोगों के बिना अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए**,** हम चाहेंगे कि हमें आपकी ओर से कुछ मार्गदर्शन या सुझाव दिए जाएं कि किस तरह से ग्राम सभा को मजबूत किया जाए।

8. **श्री. मिलिंद थट्टे**, **निदेशक**, **तीर फाउंडेशन**, **महाराष्ट्र:** पेसा में ग्राम सभा को सक्षम बनाना एक लंबी लड़ाई थी। इसलिए लोग उन अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं। दूसरे, हमने उन्हें परंपरा से जोड़ा। चूँकि गाँव में किसी काम के लिए अंशदान देने की परंपरा है, तब लोगों ने ग्राम सभा के निर्णयों का पालन कराने के लिए तहसीलदार, बीडीओ आदि से अंशदान करने की परंपरा शुरू की। जो व्यक्ति ग्राम सभा के अंशदान से पैसा लेकर गांव का काम करने के लिए तहसील में जाता है यह मानता है कि वह गांव का जिम्मेदार व्यक्ति है। यह एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया थी जिससे ग्राम सभा को अपने आप पर विश्वास होने लगा।

महाराष्ट्र में अगर गांव वाले यह प्रस्ताव रखते हैं कि हमारी ग्राम सभा अलग से बनाई जाए तो यह फैसला एसडीएम के पास जाता है। अगर एसडीएम तीन महीने में कुछ नहीं करते तो कलेक्टर को 45 दिन में करना होता है। यदि कलेक्टर भी कुछ नहीं करता है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। जैसे-जैसे ग्राम सभा जैसी संस्था के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, यह दिन-ब-दिन मजबूत होती चली गई। काशीपुरा में बिना किसी पंचायत सचिव के लगातार आठ ग्राम सभाएं हुईं। नौवीं ग्राम सभा की बैठक में पहली बार ग्राम पंचायत सचिव आए। दसवीं बैठक में पहली बार सरपंच आये।

जब सरपंच आये तो लोगों ने कहा कि नियमानुसार हमारा अध्यक्ष बैठेगा। लेकिन आप सरपंच हैं**,** हमारे प्रतिनिधि आपको बड़ी कुर्सी पर बिठा देंगे**,** लेकिन आप सभापति नहीं बनेंगे। सभापति हमारा होगा। आख़िरकार जब ग्राम पंचायत सचिव बैठक में आये तो युवाओं और महिलाओं ने उन्हें गुलाब के फूल देकर सबके सामने गौरवान्वित किया। हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे **12** गाँव हैं जो पिछले **3** वर्षों से हर महीने ग्राम सभा आयोजित कर रहे हैं और आपको सभी **37** ग्राम सभाओं की कार्यवाही मिल जाएगी**,** जिनमें से अधिकांश लोगों ने स्वयं लिखी हैं।

9. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: आपने कहा है कि नियमों में कई कमियां हैं। खैर, नियमों को और बेहतर बनाया जा सकता है। जब भी कोई सरकार नियमों का मसौदा तैयार करती है तो वह उन्हें राय और परामर्श के लिए जनता के सामने रखती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने संगठनों की ओर से इस पर कोई आपत्ति जताई है; कहा कि, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस नियम को इस प्रकार पढ़ना चाहिए।

10. श्री. मिलिंद थट्टे, निदेशक, तीर फाउंडेशन, महाराष्ट्र: उस समय हमने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि जब मसौदा नियमों में आया था, तो हमें खुद पेसा की कोई समझ नहीं थी। लेकिन जब नियम आए और हमने उन्हें लागू करने में पूरी ताकत लगा दी, तब हमें इसकी कमियां समझ में आने लगीं। इसके अलावा, जब मैं एक शोधकर्ता बन गया, तो मैंने अन्य राज्यों के नियमों को इस नजरिए से देखा कि मेरे ग्रामीणों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि खराब तरीके से तैयार किए गए नियम में समस्या कहां होगी। तो अब मैं बोल सकता हूँ। हालाँकि उस समय मेरे स्तर पर महाराष्ट्र के नियमों के संबंध में कोई फीडबैक नहीं दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश पेसा नियमों के संबंध में विधिवत दिया गया था। लेकिन मैं इस तथ्य की सराहना करना चाहूंगा कि पेसा नियम बनाए गए। इसलिए हम ये सब कर पाए. अन्यथा यह शुरू ही नहीं होता।

11. डॉ. मल्लिनाथ कलाशेट्टी, निदेशक, एसआईआरडी, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र मसौदा नियमों को अंतिम रूप देते समय, हमने गैर सरकारी संगठनों के साथ पर्याप्त चर्चा की थी।

12. प्रतिभागी: मेरा प्रश्न यह है कि क्या गाँव के प्रथागत कानूनों को पेसा के कानूनों के साथ जोड़ा जा सकता है**?** क्योंकि मेरे गांव में सड़कें हैं, सिंचाई के रास्ते हैं लेकिन लोग उन्हें बंद कर देते हैं। जैसे अदालतें कहती हैं कि यह रास्ता किसी ने तय नहीं किया है, तो क्या यह तय हो सकता है**?** हमारे आदिवासी इलाकों में लिखा है कि अगर ऐसा कोई रास्ता यहां से इतने सालों तक चल सकता है, तो वह हमेशा के लिए एक रास्ता बन जाता है। पहले बैलों के चलने के लिए रास्ता छोड़ा जाता है। आजकल खेतों में बुआई मशीनों द्वारा की जाती है।

13. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: क्या कोई ऐसा उदाहरण मौजूद है जहां किसी गांव, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ने कहा हो कि, उसके प्रथागत कानून के अनुसार, यह विनियमन होगा**?** क्या ऐसा एक भी उदाहरण लिखित रूप में मौजूद है**?**

14. श्री. मिलिंद थट्टे, निदेशक, तीर फाउंडेशन, महाराष्ट्र: पहले यह लिखित में नहीं था, लेकिन अब, हमारी बातचीत के बाद, यह लिखित रूप में होने लगा है। हालाँकि यह हिमाचल प्रदेश में अधिक लागू है, यह हर जगह लागू हो सकता है। ये महाराष्ट्र में भी है। एफआरए में यह भी उल्लेख है कि इसमें प्रथागत कानूनों को मान्यता देनी होगी क्योंकि यह उन्नत है। प्रथागत कानून में दो बातें हैं। प्रथागत कानून का एक हिस्सा है जो नागरिक संहिता की तरह काम करता है जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, जमीन और संपत्ति में हिस्सेदारी। प्रथागत कानून का दूसरा भाग संसाधनों को नियंत्रित करता है जैसे नदी के संबंध में; आपके जंगल के संबंध में.

खरमा नाम का एक गाँव है जिसकी ग्राम सभा ने अपनी नदी में मछली पकड़ने के संबंध में एक नियम बनाया है कि मछली पकड़ने का काम केवल मछली पकड़ने के जाल से ही किया जा सकता है जिसे हम अपनी भाषा में 'खदान' कहते हैं। पानी में करंट छोड़ कर या टीसीएल पाउडर की मदद से मछली नहीं पकड़ी जा सकती। ये गलत और हानिकारक तरीके हैं इसलिए ग्राम सभा ने इन्हें बंद कर दिया है। विवाद निवारण, संघर्ष समाधान, चाहे वह पति-पत्नी के बीच हो या पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर हो,

उनके समाधान के जो तरीके अब तक नहीं लिखे जाते थे, वे अब लिखे जाने लगे हैं।

फिलहाल पेसा के नियमों में विवाद समाधान समिति का प्रावधान है। हम महाराष्ट्र के पेसा गांवों से कहते हैं, जिन्होंने इस समिति का गठन किया है, इस समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को एक नोटबुक में लिखें। वह मामले के दस्तावेज होंगे। प्रथागत कानूनों को सख्त नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे हमेशा लचीला रहना चाहिए। गांव के लोग बैठकर तय करें कि इस मामले में क्या होगा, फिर उन मुकदमों को लिखा जाना चाहिए। जो अब तक हमारी समझ में नहीं लिखा है, उसे अगर हम लिख लें तो एक दस्तावेज सबके सामने होगा। यदि कोई गलती हो तो हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं।

15. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: आज तक, हमारे पास प्रथागत कानून हैं। हो सकता है **50** साल बाद उन्हें कोई याद न रखे। ऐसी सारी चीजें बिखर जाती हैं, मिट जाती हैं। इसलिए मेरी राय में प्रत्येक पेसा गांव को अपने प्रथागत कानून लिखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

16. श्री संदीप मिन्हांस, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: आपका प्रश्न दोहरा है। पहला यह कि यदि आपके पास पारंपरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, किसी रास्ते से जाने का अधिकार, मंदिरों और ऐसे सभी स्थानों पर जाने का अधिकार है, तो वे आपको दिए जाने चाहिए। एफआरए में भी इसका प्रावधान है। लेकिन जिन व्यक्तिगत अधिकारों की आप बात कर रहे हैं यानी एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए क्या कोई प्रावधान है**?** यदि यह नहीं है तो यहां बाजुला लगाया जाता है ताकि जब कोई खेतों में बुआई करने जाए तो बैलों को खेतों में ले जा सके। बाजुला में ट्रैक्टर नहीं लिखा है। एक इंसान खाली मैदानों से गुजर सकता है। खेत में बीज बोने के बाद वह नहीं जा सकती। ये अधिकार आपको कानून में मिलता है और हमारे राज्य के अधिकार में भी है। इसलिए आपको संदर्भ को थोड़ा बारीकी से देखना होगा।

17. प्रतिभागी: हाल की चर्चाओं में एक बात जो उजागर हुई है वह है सरपंच और ग्राम सभा के अध्यक्ष के बीच संघर्ष। मुझे विश्वास है कि यह विवाद धीरे-धीरे सुलझ जायेगा। इस बात को उजागर करने की जरूरत नहीं है कि ग्राम सभा ज्यादा ताकतवर है। सरपंच को भी यह समझना होगा कि वह इतना ताकतवर नहीं है। जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो धीरे-धीरे अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच चीजें तय हो गईं। अब आप देखेंगे कि कई चीजें ठीक से काम कर रही हैं। सरपंच एक निर्वाचित निकाय है और कानूनी है। इसका अपना महत्व है। लेकिन यह संभव नहीं है कि सभी सरपंचों के बीच इस तरह की बात हो। अगर वह बिना किसी टकराव के चीजों को बेहतर ढंग से समझता है तो इसमें अधिकार का सवाल ही नहीं उठता। और मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगी।

हमारे यहां बने नियमों में एक बात मुझे थोड़ी परेशान करने वाली थी। इसमें लिखा है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कोई सरपंच नहीं होगा, कोई उपसरपंच नहीं होगा, कोई पंच नहीं होगा और एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। **5** साल तक कोई अकेला व्यक्ति नहीं रहेगा। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि चीजों को इतना कठिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पंच भी बना सकते हैं, अगर पंच उसी गांव का रहने वाला हो, कहीं बाहर का न हो और एक ही टोले/मजरा का हो। मुझे लगता है कि अगर वे ऐसा बहुत ज़्यादा करेंगे तो टकराव पैदा हो जाएगा। इसका भी अपना महत्व है। वह चुनकर पंचायत में आये हैं। पूरी पंचायत उनकी है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।

18. श्री. मिलिंद थट्टे, निदेशक, तीर फाउंडेशन, महाराष्ट्र: लोकसभा में कोई भी मंत्री कुर्सी पर नहीं बैठता है। यह हितों के टकराव का मामला है।

19. श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: मुझे लगता है कि वह ऐसा नहीं कह रहे हैं।

आप जो कह रहे हैं वह कानूनी तौर पर सही है। संवैधानिक रूप से ठीक है। लेकिन वह कह रहे हैं कि अगर इन सभी चीजों को ज्यादा उत्तेजित न किया जाए तो ये धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं। एक समय तो इतनी पंचायत व्यवस्था भी नहीं थी। साथ ही विधायक और जिला परिषद के बीच विवाद काफी पुराना है**,** लेकिन अब ये सारी बातें शांत हो गई हैं।

20.अध्यक्ष, **श्री आर. चिन्नादुरई:** पूरे देश में गैर सरकारी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं और सफल काम कर रहे हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का सृजन कर रहे हैं। लेकिन वह सरकारी प्रयासों का स्थान नहीं ले सकता। रोजगार के अवसर पैदा करना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा अच्छा होता है। हमें सफलता की कहानियों के दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने की आवश्यकता है।

सत्र-IV: पेसा क्षेत्रों में भूमि कानून और धन उधारी कानून

अध्यक्ष: श्री शेखर गायकवाड, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), यशदा

डॉ. मल्लीनाथ कलाशेट्टी, **उप महानिदेशक (डीडीजी)**, **यशदा** ने चौथे सत्र में यशदा की ओर से सभी का स्वागत किया और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से सत्र की प्रारंभिक टिप्पणी देकर दिन के पहले सत्र की शुरुआत करने का अनुरोध किया। सत्र की शुरुआत में**,** पंचायती राज मंत्रालय के उप सचिव ने इस मुद्दे पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत डेटा प्रस्तुत किया।

2. श्री चंदन कपूर, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में लाहौल**,** स्पीति**,** किन्नौर और चंबा जिले के दो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों में हैं। यहां हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम **1968** लागू है**,** जिसमें प्रावधान है कि किसी भी आदिवासी की जमीन राज्य सरकार की अनुमति के बिना गैर-आदिवासियों को नहीं दी जा सकती है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि आदिवासी भूमि अधिग्रहण मामलों में ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा और भूमि केवल सहकारी भूमि बाजार बैंकों या सहकारी समितियों के पास ही बंधक रखी जा सकती है।

एक बार एक जमीन अनुसूचित बैंक के पास गिरवी रखी गई थी। हालाँकि, ऋण लेने वाले ने भुगतान नहीं किया और बैंक ने कार्रवाई करते हुए उस जमीन को एक गैर-आदिवासी को आवंटित कर दिया। वह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया है. दूसरे, अनुसूचित क्षेत्रों में जहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं है, विरासत कानून वाजिब उल उर्ज द्वारा शासित होते हैं। जब समझौता होता है तो हमारे रिकॉर्ड और साक्ष्य तैयार किए जाते हैं। इसलिए जो भी समझौता किया जाता है, वह रीति-रिवाज ग्राम सभा यानी जलसा-ए-आम में गांव के सभी निवासियों की सहमति से लिखा जाता है। हालांकि लाहौल, स्पीति, चंबा और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों के प्रावधानों में मामूली अंतर मौजूद है, लेकिन इसमें प्रावधान यह है कि वहां की महिलाओं को जमीन का अधिकार नहीं है। किन्नौर के रिब्बा गांव की एक महिला कार्यकर्ता ने महिला कल्याण मंच से इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाया और यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित है, कि जो महिलाएं इन रीति-रिवाजों से वंचित हैं, वे भी अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त भूमि की हकदार हैं।

मैं इन दो बातों को सदन के ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि जहां हमारे आदिवासियों को रीति-रिवाजों और भूमि को संरक्षित करने की आवश्यकता है, वहीं नई स्थितियां भी उभर रही हैं जैसे व्यावसायीकरण, लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, और भूमि बहुत प्रमुख वस्तु बन रही है। इसलिए, इस संदर्भ में, निजी क्षेत्रों के प्रबंधन में बनाए रखने वाले संतुलन पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

हमारे यहां एक ऐसी योजना चल रही है जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अलावा नई साफ की गई जमीन जो बंजर भूमि है**,** उसे सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों या नगण्य भूमि वाले लोगों को दे दी जाती है। अब तक**,** हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में**,** हालांकि यह योजना अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नहीं है**,** हमारे राज्य के तीन हिस्सों में आदिवासियों को केवल **5057** भूमि भूखंड**,** यानी **1515** हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसके लिए हमें वन संरक्षण अधिनियम **1980** के तहत छूट लेनी होगी।

3. सांकेतिक बिंदु (हिमाचल प्रदेश):

(i) क्या अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित डेटा राज्य द्वारा रखा जाता है?

जी हां, हमारे भूमि रिकॉर्ड में टिप्पणियों का एक कॉलम होता है जिसमें होने वाले सभी हस्तांतरण दर्ज होते हैं। हालाँकि, राजस्व विभाग ने कोई अलग रजिस्टर नहीं बनाया है जिसमें आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण दर्ज किया गया हो। यह सारा जिक्र जमाबंदी में रहता है.

(ii) क्या राज्य के भूमि कानूनों में गांव के जंगल, चरागाह भूमि और पेसा पंचायतों की अन्य सामान्य संपत्ति पर अधिकार शामिल हैं?

हमारी जमाबंदी में दो प्रकार की विशेषताएँ होती हैं, एक नक्शा, जिसमें स्थानीय निवासियों के सभी अधिकार, जो वहाँ के सामान्य संसाधन हैं, दर्ज होते हैं और एक वाजिबुल उरज़, प्रथागत कानून, जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि निवासी कैसे सामान्य संसाधनों का उपयोग करेंगे।

एफआरए के बारे में हम कहते थे कि, ये रियायतें हैं, ये लागू करने योग्य अधिकार नहीं हैं। तो अब क्या हुआ है कि एफआरए के तहत जो सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं, हमने पंजीकरण कर लिया है।

राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो सामुदायिक वन अधिकार कार्ड जारी किए जा रहे हैं, हम उन्हें हिमाचल में पंजीकृत भी कर रहे हैं। इस एकीकरण से होगा यह कि अगर आपको जमीन अधिग्रहण करना है तो सिर्फ ग्राम सभा की सहमति लेना ही काफी नहीं होगा और मुआवजा भी देना होगा। अब यह काम भी शुरू हो गया है। जैसे-जैसे हमें पट्टे मिलते जाएंगे, हम उन्हें अपने आरओआर में शामिल कर लेंगे और एक तरह से यह हमारे समुदाय का स्वामित्व बन जाएगा और यदि भूमि अधिग्रहण का कोई मामला आता है, तो इसके लिए मुआवजा देना होगा।

(iii) क्या सामुदायिक संसाधनों को गाँव के नक्शे और अधिकारों के भूमि रिकॉर्ड में शामिल किया गया है?

जहां तक पाठ्य अभिलेखों का सवाल है, हम अपने सभी सामुदायिक संसाधनों को समय का उल्लेख करके रिकॉर्ड करते हैं, जैसे गांवों में कौन से पंचायत भवन या सिंचाई स्रोत हैं, सभी संदर्भ आरओआर में रखे जाते हैं। लेकिन हमारे मानचित्रों में हमारी संपत्तियों का कोई गुण नहीं है उल्लेख कर रहे हैं।

4. श्री उत्तम गौतम, गुजरात: गुजरात भूमि हस्तांतरण अधिनियम बॉम्बे प्रेसीडेंसी से ही उधार/ ऋण लिया गया है। सरकार की अनुमति के बिना आदिवासियों की जमीन नहीं बेची जा सकती। आवेदक अपनी भूमि के निस्तारण से पूर्व आवेदन करता है तथा आवेदन के साथ ग्राम सभा के दस्तावेज भी संलग्न होते हैं। इसमें एक चेकलिस्ट है कि कोई जमीन क्यों बेच रहा है। चेकलिस्ट में एक बिंदु है कि व्यक्ति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम जमीन है या नहीं, यदि नहीं है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। दो श्रेणियां हैं: स्व-अर्जित भूमि और विरासत में मिली भूमि। विरासत में मिली जमीन के मामले में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक के लिए आवेदन सीधे गुजरात सरकार के पास जाता है। इसमें कुछ समय लगता है और कुछ जांच भी होती है. स्वअर्जित अधिकार की अनुमति जिला पंचायत के पास रहती है।

5. सांकेतिक बिंदु(गुजरात):

(i) क्या अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित डेटा राज्य द्वारा रखा जाता है?
जी, हाँ।

(ii) क्या राज्य के भूमि कानूनों में गांव के जंगल, चरागाह भूमि और पेसा पंचायतों की अन्य सामान्य

संपत्ति पर अधिकार शामिल हैं?

ये सामान्य शक्तियाँ पंचायत के पास हैं। यह चरने के लिए है, यह गौचर के लिए है। यदि गौचर भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए बदलाव किया गया है, तो गुजरात सरकार की नीति भूमि की एक समान मात्रा को चारागाह में परिवर्तित करने की है।

(iii) क्या सामुदायिक संसाधनों को गाँव के नक्शे और अधिकारों के भूमि रिकॉर्ड में शामिल किया गया है?

ग्राम मानचित्र में सामुदायिक संसाधन होते हैं और **VF-1** फॉर्म में, सारांश में, सामुदायिक संसाधनों के लिए अलग से संरक्षित की गई भूमि का उल्लेख किया जाता है।

(iv) क्या पंचायतों और ग्राम सभा द्वारा ग्राम बाजारों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं [धारा 4 (एम) (vi)]

गुजरात पेसा नियम, **2017** में पंचायत की ग्राम सभा के ग्रामीण बाजार के प्रबंधन के लिए प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पेसा पंचायतों के लिए अलग से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में कुछ भी नहीं किया गया है।

(v) क्या धन उधार देने संबंधी कानून पंचायतों और ग्राम सभा को अधिकार प्रदान करते हैं?

गुजरात पेसा नियम, **2017** में ग्राम सभा को धन उधार देने के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर इसका बहुत अधिक कार्यान्वयन नहीं देखा गया है। गुजरात का अपना गुजरात धन ऋण अधिनियम, **2011** है। इसके अनुसार, कोई भी धन ऋण नहीं दे सकता है। बिना पंजीकरण के अनुमति है। इस अधिनियम में अधिक ब्याज वसूलने पर सजा का प्रावधान है। पिछले **2** वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं।

(vi) क्या धन उधार, **भूमि हस्तांतरण**, **भूमि अधिग्रहण और खनन/उद्योग आदि द्वारा परिधि में फसलों के विनाश से उत्पन्न होने वाले प्रवासन और बंधुआ मजदूरी पर डेटा राज्य/ग्राम पंचायत द्वारा बनाए रखा जाता है**?

माइग्रेशन का कोई अलग डेटा तैयार नहीं किया गया है। यहां तक कि भूमि हस्तांतरण का डेटा भी नहीं रखा जाता है। इसमें देखा जा सकता है कि हमने जिला पंचायत से कितनी अनुमति दी हैं। खनन उद्योग के कारण होने वाले विनाश का अभी तक कोई डेटा नहीं है।

(vii) क्या लाइसेंस शुल्क जुर्माने और अन्य शुल्कों के माध्यम से राजस्व अर्जित किया गया है?

जी, नहीं।

(viii) क्या इस उद्देश्य के लिए डेटा बेस बनाए रखा गया है?

जी, नहीं।

(ix) क्या अर्जित राजस्व का उपयोग जीपीडीपी के माध्यम से किया गया?

यदि कुछ स्थानों पर राजस्व होता है, तो इसका उपयोग विविध खर्चों के लिए किया जाता है। जीपीडीपी में, यह प्रतिबिंबित नहीं होता है।

(x) क्या इस उद्देश्य के लिए जनशक्ति लगाई गई है?

जी, नहीं।

6. सुश्री वर्षाभरोसे, संयुक्त सचिव, आरडीडी, महाराष्ट्र: भूमि हस्तांतरण और धन उधार दोनों साथ-साथ चलते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण उस समय अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण हुआ। अब हम उन्हें पंचायती राज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पेसा का उद्देश्य पंचायती राज के सभी नियमों को लागू करना और आदिवासियों को बचाना है। भूमि हस्तांतरण और धन उधार के संबंध में **2014** में महाराष्ट्र द्वारा अधिसूचित नियमों में, हमने अधिकांश मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया है लेकिन इसका कार्यान्वयन होना बाकी है।

7. सांकेतिक बिंदु (महाराष्ट्र):

(i) क्या अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित डेटा राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है?

2014 के पेसा नियमों के नियम नं. **34 (5)** में प्रावधान है कि ग्राम सभा भूमि रिकॉर्ड बनाए रखेगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सरकार इसे देखेगी।

(ii) क्या राज्य के भूमि कानूनों में गांव के जंगल, **चरागाह भूमि और पेसा पंचायतों की अन्य सामान्य संपत्ति पर अधिकार शामिल हैं**?

चारागाह भूमि पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम सभा का होता है। यदि इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करना हो तो प्रस्ताव कलेक्टर के पास निर्णय हेतु भेजना होगा।

(iii) क्या सामुदायिक संसाधनों को गाँव के नक्शे और अधिकारों के भूमि रिकॉर्ड में शामिल किया गया है?

ग्राम पंचायत के प्रत्येक मानचित्र में सामुदायिक संसाधनों से संबंधित विवरण होता है।

(iv) क्या पंचायतों और ग्राम सभा द्वारा ग्राम बाजारों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं [धारा 4 (**एम) (**vi)]

ग्रामीण बाजार का प्रावधान नियम संख्या **43** में है।

(v) क्या धन उधार देने संबंधी कानून पंचायतों और ग्राम सभा को अधिकार प्रदान करते हैं?

हमने नियमों में प्रावधान किये हैं। मनी लेंडिंग रेगुलेशन एक्ट **{**धारा **67** एवं **31(1)}** में भी प्रावधान किये

गये हैं। धारा **31** में दरों की सीमाएँ रखी गई हैं। सरकार की घोषणा है कि कोई भी उस दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है और साहूकारों का रजिस्टर ग्राम सभा स्तर पर बनाए रखना होगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

(vi) क्या लाइसेंस शुल्क, जुर्माने और अन्य शुल्कों के माध्यम से राजस्व अर्जित किया गया है?

वर्ष **2021-22** और **2022-23** में अर्जित राजस्व क्रमशः **21** लाख रुपये और लगभग **48** लाख रुपये था।

(vii) क्या इस उद्देश्य के लिए डेटा बेस बनाए रखा गया है?

जी**,** हाँ। डेटाबेस बनाए रखा गया है।

(viii) क्या अर्जित राजस्व का उपयोग जीपीडीपी के माध्यम से किया गया?

अभी तो नहीं**,** लेकिन हमें लगता है कि जीपीडीपी के माध्यम से इसका उपयोग उचित होगा।

(ix) क्या इस प्रयोजन के लिए जनशक्ति लगाई गई है?

जी, नहीं। हमारे पास अलग से कोई जनशक्ति नहीं है। यह सब मोबिलाइज़र और ग्राम सेवक द्वारा किया जाता है।

(x) क्या धन उधार, भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण और खनन/उद्योग आदि द्वारा परिधि में फसलों के विनाश से उत्पन्न होने वाले प्रवासन और बंधुआ मजदूरी पर डेटा राज्य/ग्राम पंचायत द्वारा बनाए रखा जाता है?

राज्य में हमारे पास इस प्रकार का डेटा नहीं है लेकिन हम ऐसा डेटा बनाने और बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

8. डॉ. देवेश मिश्रा, उप निदेशक,मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के पेसा नियमों में**,** ग्राम सभाओं को दी गई शक्तियों में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव**,** भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श**,** पुनर्वास और पुनर्वास के लिए सार्वजनिक सुनवाई शामिल है। यदि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण गलती से हो गया हो तो उसे वापस करने का भी प्रावधान किया गया है। हमारे नियमों में विस्तृत प्रक्रियाएँ मौजूद हैं और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है।

9. श्री संतोष कुमार गोयल, राजस्थान: यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे रोकने के लिए नियम लागू होंगे। इसके तहत शक्तियां पंचायत समिति को दी गई हैं। यदि उपहार के माध्यम से किसी भी प्रकार की बिक्री किसी पंजीकृत या अपंजीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से की जाती है**,** तो यह पूरी तरह से अमान्य**,** निष्क्रिय और शून्य होगी। डेटा का रखरखाव तहसील स्तर पर किया जाता है और इसकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर संकलित की जाती है। सामुदायिक पट्टों या चारागाह भूमि के रिकॉर्ड जमाबंदी में रखे जाते हैं**,** लेकिन बिना किसी अलग उत्परिवर्तन/ दाखिल खारिज के। गांव के नक्शों में मौजूद सामुदायिक संसाधनों को ही अंकित किया जाता है। हमारे एक्ट में ग्राम बाजार का प्रावधान रखा गया है**,** लेकिन इस पर ज्यादा काम नहीं हो रहा है। पलायन**,** बंधुआ मजदूरी के मामले में तो ऐसा कोई मामला नहीं है**,** लेकिन यदि भूमि अधिग्रहण है और खनन के कारण कोई पलायन होता है तो ग्राम सभा की

अनुमति और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियमानुसार माना जाता है। धन उधार के मामले में, **1963** का एक अधिनियम है, लेकिन बहुत कम या कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस मामले में रजिस्ट्रार के पास शक्तियां हैं जो हमने ग्राम पंचायत को दे दी हैं।

10. श्री राज कुमार एवं श्रीमती नीरज चांदला, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश खनिज (संशोधित) नियमों के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में जो खनिज हैं, उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला जा सकता है और यदि विभाग खनन पट्टा देना चाहता है, तो इसकी सिफारिश की जा सकती है। संबंधित ग्राम सभा आवश्यक है। इसी प्रकार, स्थानीय लोग या आदिवासी लघु वन उपज निकाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उन्हें बेचने का भी अधिकार है। वर्तमान में जो आय होती है वह ग्राम देवता/उसकी समिति को जाती है न कि ग्राम सभा को। शराब के संबंध में **24** बोतल तक का लाइसेंस ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है और ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया लाइसेंस भी ग्राम पंचायत को आबकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह केवल ग्राम पंचायत और औपचारिक प्रयोजनों के लिए है।

11. श्रीमती नीरज चांदला, **हिमाचल प्रदेश:** उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 97(1)(बी) के अनुसार, हमने किन्नौर और लाहौलस्पीति में नशीले पदार्थों की बिक्री और खपत के प्रवर्तन, विनियमन और प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया है। धारा 97(1) में लाइसेंस शुल्क का प्रावधान भी मौजूद है। उत्पाद शुल्क से हमें जो भी राजस्व प्राप्त होता है उसे संबंधित जिले में वितरित कर दिया जाता है। हमारे पास किन्नौर, लाहौल और स्पीति का रिकॉर्ड है। उत्पाद शुल्क अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिस पंचायत में शराब की दुकान खोली जाएगी, उस पंचायत को 80% राजस्व 2 रुपये प्रति बोतल की दर से जाएगा और पेसा क्षेत्र में यह भी प्रावधान है कि कोई टेंडर नहीं होगा। जो पंचायत गैर-पेसा क्षेत्र में है, उसका 20% राजस्व भी इसे जाता है।

जहां तक इसे जीपीडीपी में शामिल करने की बात है तो अभी तक हमारे पास इसका कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इसे जीपीडीपी में शामिल किया गया है या नहीं, लेकिन ओएसआर की गतिविधियों को जीपीडीपी में शामिल किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र में प्रति बोतल **2** रुपये दिये जाते हैं। नीति यह है कि आदिवासी इलाके में पैदा होने वाली अंगूरी शराब जैसी स्थानीय शराब के लिए आबकारी विभाग लाइसेंस देता है और इसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति को **24** बोतल तक शराब बेची जा सकती है। स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, उत्पाद शुल्क विभाग ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है ताकि आदिवासी वहां के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों का उपभोग कर सकें। जब भी किसी देवता की पूजा की जाती है तो इसे एक पवित्र पेय के रूप में पिलाया जाता है।

12. श्री राज कुमार, हिमाचल प्रदेश: ग्राम सभा द्वारा दिए जाने वाले लाइसेंस वार्षिक या पंचवार्षिक आधार पर होते हैं। यह ग्राम सभा की कमाई बन जाती है. लेकिन इस राजस्व को जीपीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, हालांकि प्रावधान है कि पंचायत में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का विकास कार्य जीपीडीपी का हिस्सा होगा।

13. अध्यक्ष: पंचायत प्रति वर्ष औसतन कितना कमाती है?

उत्तर: हर साल औसतन 10,000 रुपये की कमाई होती है. इसके अलावा, चूंकि यह किन्नौर या हिमाचल में परंपरा का हिस्सा है, इसलिए महिलाओं की ओर से इसका कोई विरोध नहीं है। इसका कोई डेटाबेस नहीं है लेकिन चूँकि यह सब पंचायत स्तर पर दर्ज होता है इसलिए इसका डेटाबेस पंचायत स्तर पर ही रहता

है।

14. श्रीमती नीरज चांदला: यह स्वीकार करना होगा कि हिमाचल प्रदेश के पेसा क्षेत्रों की ग्राम सभा रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा के लिए उन्हें दी गई शक्तियों के बारे में इतनी जागरूक नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं अपने जनजातीय क्षेत्र की तुलना राज्य के गैर-आदिवासी क्षेत्र से करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां धन उधार को विनियमित करने की आवश्यकता है, हालांकि प्रावधान मौजूद हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय अन्य गैर-आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। महाराष्ट्र और हिमाचल के आदिवासियों की स्थिति भी तुलनीय नहीं है। तदनुसार, प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग नियमों की आवश्यकता होती है। अलग-अलग क्रियान्वयन भी हो सकता है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की टिप्पणियाँ

15. श्री. संदीप मिन्हास, एनजीओ, हिमाचल प्रदेश: किन्नौर में एक नई स्थिति पैदा हो गई है कि एक निजी बैंक किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन को गिरवी रख सकता है और यदि वह व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ है तो उसे सरफेसी अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्व विभाग और जनजातीय विभाग सरकार को सुझाव/सिफारिश करें कि यह संशोधन पेसा के अनुरूप नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय को यह भी सिफारिश करनी चाहिए कि सरफेसी कानून में संशोधन कर इसे पेसा कानून के अनुरूप बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी अपने नियमों में तदनुसार संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरे, महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मेरी जमीन का रेट सरकार तय करती है। मैं ये समझ नहीं पाया। कृपया इसे स्पष्ट करें। और तीसरा आदिवासी इलाकों में शराब को लेकर है। हम वर्तमान में **100** रुपये प्रति घर की दर से संग्रह कर रहे हैं। यह पैसा कहां जा रहा है और इसका उपयोग कहां किया जा रहा है**?**

16. श्री मिलिंद थट्टे, एनजीओ: जब भूमि का हस्तांतरण होता है, तो अक्सर गांव के आदिवासी लोगों को इसके होने के बाद पता चलता है। कराई गई संयुक्त पैमाइश भी अक्सर फर्जी होती है। जब मौके पर जाकर पैमाइश की जाती है तो लोगों को इसकी जानकारी होती है। इसे रोकने के लिए पेसा नियमावली में प्रावधान है। ये रिकार्ड हर वर्ष ग्राम सभा में रखा जाना चाहिए। हिमाचल के नियमों में यह **6(1),** गुजरात में **5(1),** महाराष्ट्र में **2(3),** एमपी में **17(1)** है। राजस्थान में यह **18** और **19** है। मेरा सवाल यह है कि क्या इन पांचों राज्यों ने कभी तलाठी/पटवारी को निर्देश जारी किया है कि वे साल में एक बार जाएं और भूमि रिकॉर्ड पढ़ें और उन्हें ग्राम सभा को दिखाएं और यदि निर्देश दिए गए हैं तो बताएं कि इसकी निगरानी कैसे की जा रही है।

17. श्री शेखर गायकवाड, एडीजी, यशदा: इसका ग्राम सभा में प्रवाधान किया जाना चाहिए और यह एजेंडा पर एक स्थायी विषय होना चाहिए।

18. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: इस मुद्दे पर पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों को पत्र लिखेगा।

19. राजस्थान: राजस्थान में जब विभिन्न अभियान चलते हैं तो समय-समय पर जिला कलेक्टर एवं सरकार द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि हर गांव की ग्राम सभा में जमाबंदी भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये कारगर नहीं है। हम इसके लिए अलग से निर्देश जारी करेंगे।

20. अध्यक्ष श्री शेखर गायकवाड, एडीजी, यशदा द्वारा सारांश: सरफेसी अधिनियम और एनसीएलटी दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सुरक्षित ऋणदाता के पास पहला अधिकार है। इसलिए कर, शुल्क, यहां तक कि बिक्री कर बकाया, उत्पाद शुल्क बकाया, आयकर बकाया सुरक्षित लेनदार के अधीन हैं। देश का स्थापित कानून यह है कि क्राउन ऋण को सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। दूसरे, भूमि के मुद्दे जटिल हैं क्योंकि भूमि से संबंधित प्रावधान सैकड़ों कानूनों में मौजूद हैं।

ठाणे जिले में, जो पूरी तरह से आदिवासी बेल्ट है, कुछ आदिवासी बिल्डर बन गए हैं। वे नासिक शहर में जमीन खरीदते हैं। पहली बार महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में आदिवासी दिखाई दे रहे हैं। अधिनियम कहता है कि कोई भी कब्ज़ा, किसी आदिवासी के पास मौजूद कोई भी भूमि आदिवासी भूमि बन जाती है। इसलिए जब कोई आदिवासी बिल्डर बन जाता है तो उसकी जमीन की बिक्री और खरीद में समस्या आती है और यह बहुत जटिल है।

महाराष्ट्र में वर्तमान में आदिवासी श्रमिक जलगांव की ओर पलायन करते हैं। वहां 2.5 लाख लोग आते हैं। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों से गैर-आदिवासी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यह एक वार्षिक सुविधा है और यह बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। मुझे पता है कि आदिवासी समूहों और उनके नेताओं द्वारा अग्रिम रूप से 140 करोड़ रुपये लिये गये। हालाँकि, उन्होंने चीनी मिलों में रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आदिवासियों के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज की गईं।

जल्द ही नीति आयोग 8 फरवरी 2024 को यशदा में सभी राज्यों के लिए भूमि मुद्दों पर एक हेल्प डेस्क स्थापित करने जा रहा है। हम भूमि मुद्दों और भूमि मामलों पर सभी राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे। संभवतः हम पेसा के अनुरूप भूमि की नीतियां तैयार करने में कुछ मदद कर सकते हैं।

मैं पोर्टल के माध्यम से पेसा ग्राम पंचायतों में जमा धन का विवरण एकत्र करने का सुझाव दूंगा। देखने पर लगेगा कि रकम बहुत कम है। सैकड़ों गांवों का काम लगभग शून्य हो रहा है। केवल कुछ को ही सैकड़ों या हजारों में मिल रहे हैं और 10 से ज्यादा गांवों को 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहा है। यही स्थिति है। जब तक हम इसकी निगरानी नहीं करेंगे कि पेसा पंचायतों को कितना पैसा मिल रहा है, हम जो बात कर रहे हैं वह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

सामुदायिक भूमि के संबंध में, एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। हम कहते हैं कि सामुदायिक भूमि या चरागाह भूमि सरकार की है। यदि सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है तो सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समुदायों को चराई का अधिकार दिया जा सकता है, यह कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वर्तमान में चरने वाले मवेशी इतने कम हैं कि चराना अव्यावहारिक है और गायरानों का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इनका उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर प्लांट जैसे कार्यों में किया जा रहा है। बहुत सारी गैर-कृषि गतिविधियाँ सामने आ रही हैं। सामुदायिक भूमि पर दबाव है और कई राज्यों द्वारा वर्णित वाजिब-उल-उर्स कानूनों में वृद्धि हुई है।

भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे हैं क्योंकि भूमि कानूनों में अधिभोग पर विचार किया गया है। इसलिए यदि अधिभोग स्थानांतरित हो जाता है, तो अभी भी समस्याएं हैं। यदि आप ऋण चाहते हैं तो बंधक फिर से एक मुद्दा है। भविष्य में सामुदायिक अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच पूर्ण संघर्ष होने वाला है। मान लीजिए बुलेट ट्रेन बोरीवली से आदिवासी इलाकों से होकर जा रही है। आदिवासियों को जमीन की चार गुना कीमत मिल रही है। वह जमीन देने को तैयार है लेकिन ग्राम सभा मना कर रही है। तो ये सब जमीनी हकीकत हैं। मेरा सुझाव है कि आप राज्यों के साथ एक समूह चर्चा कर सकते हैं; सभी राजस्व अधिकारी और पेसा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ताकि सामूहिक रूप से एक आवाज उठाई जाए और एक नीति बनाई जाए।

———————

सत्र-V और VI: पेसा पंचायतों के राजस्व के स्वयं के स्रोत (ओएसआर) और उत्पाद शुल्क कानून

अध्यक्ष: सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

ये दोनों सत्र सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक साथ आयोजित किये गये। भाग लेने वाले राज्यों से पूछे गए प्रश्न इस प्रकार थे:

1. क्या सृजित राजस्व का विवरण बनाए रखने के लिए डेटा बेस बनाए रखा गया है?

2. क्या राजस्व का उपयोग जीपीडीपी के माध्यम से किया जाता है?

3. क्या पेसा क्षेत्रों में राजस्व के स्वयं के स्रोत (ओएसआर) के विभिन्न स्रोतों से कमाई की गई?

4. गौण खनिजों की बिक्री का विनियमन

5. नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित शक्तियां और उत्पाद शुल्क कानूनों के संबंध में पेसा पंचायतों की स्थिति

6. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से वन उपज का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण

7. औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का व्यावसायीकरण: ग्राम सभा या उसका संघ इन संसाधनों की बिक्री को विनियमित करता है और अतिरिक्त आय और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है।

8. सामाजिक वानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना: लघु वन उपज (एमएफपी) योजनाओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा समर्थित नर्सरी और पौध की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

9. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं विनियमन।

10. ग्रामीण बाजारों को विनियमित करना

11. लघु वनोपज का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना।

सत्र की अध्यक्ष महोदया सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने अधिनियम द्वारा सक्षम ओएसआर के संग्रह के लिए पेसा क्षेत्रों में अधिक संभावना को रेखांकित किया। ओएसआर स्थानीय सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है, क्योंकि यह स्थानीय निकायों को वित्तीय ताकत प्रदान करता है, और इस प्रकार सहायकता के सिद्धांत को अपनाने के लिए अधिक लाभ देता है। इन दोनों विषयों

पर राज्यवार इनपुट पर एक प्रतुतिकरण भी प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। ऊपर दिए गए प्रश्नों पर राज्यों और एनजीओ प्रतिनिधियों की टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है:-

2. श्रीमती नीरज चांदला, हिमाचल प्रदेश: सुश्री चांदला ने हिमाचल में पेसा क्षेत्रों में सीमित प्रशिक्षण सामग्री और क्षमता निर्माण की ओर इशारा किया, हालांकि कुछ प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने पेसा क्षेत्रों में रिकॉर्ड के अलग-अलग/विभागवार रखरखाव और पेसा नोडल कार्यालय में वन उपज, लघु खनिज, राजस्व, प्रथागत अधिकार आदि के रिकॉर्ड का कोई केंद्रीकरण या एकत्रीकरण नहीं होने की ओर भी इशारा किया।

उन्होंने बताया कि ओएसआर के संबंध में, पेसा पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में बेची जाने वाली शराब की प्रति बोतल 20 पैसे भी मिलते हैं। यह संचयी रूप से लगभग 10,000/- रुपये प्रति माह बैठता है। एचपी पेसा नियमों का नियम 19 पेसा पंचायतों को नशीले पदार्थों के उत्पादन की अनुमति देने और विनियमित करने की अनुमति देता है। वन विभाग वह प्राधिकरण है जिससे वन उपज के लिए आय अर्जित होती है; यह औषधीय पौधों के संग्रह के लिए परमिट भी देता है। हिमाचल के एक आदिवासी क्षेत्र में कायम एक पारंपरिक वन अधिकार पांगी घाटी में है जहां ग्राम सभा समुदाय को सूखे पेड़ों को काटने के लिए अधिकृत करती है। और मोटे तौर पर, पंचायतों द्वारा उत्पन्न की जा रही आय को ओएसआर मद के तहत जीपीडीपी में प्रतिबिंबित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण निष्कर्ष खराब होना या डेटा का कोई रखरखाव न होना था।

3. श्री अशोक डांगी, उप जिला विकास अधिकारी, जीपी, भरूच, गुजरात: ग्राम सुविधा पोर्टल अभी गुजरात में बनाया गया है। ग्राम सुविधा पोर्टल को डीडीओ पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, इसमें माहवार जिलेवार लॉगिन किया जाता है। गुजरात पंचायत अधिनियम में, कर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जो एक आंतरिक स्रोत है। संपत्ति कर है (जिसकी गणना संपत्ति के कुल मूल्य के लगभग 0.50 से 1.15 तक की जाती है), स्वच्छता कर; विद्युत कर; बाज़ार शुल्क. इसके अलावा, व्यक्तियों पर 200 रुपये की दर से प्रोफेशनल टैक्स भी लगाया जाता है। व्यावसायिक कर को छोड़कर, अन्य सभी कर अब ग्राम सुविधा पोर्टल पर मैप किए गए हैं। वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों में ई पेमेंट के माध्यम से वसूली की जाती है। इसके अलावा, राजस्व संग्रह में भूमि कर, स्थानीय निधि और शिक्षा उपकर शामिल हैं जो पंचायत अधिनियम में शामिल नहीं हैं, लेकिन लगाए जा रहे हैं। ये सभी कर जीपीडीपी में ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हो रहे हैं। कर संग्रहण के उद्देश्य से विशिष्ट जनशक्ति को लगाया जाता है, जिसे थलाटी कहा जाता है। शुष्क राज्य/ ड्राईस्टेट होने के कारण गुजरात में शराब से राजस्व शून्य है। इसके अलावा, पंचायतों के बीच करों के संग्रह में व्यापक रेंज की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने भरूच की तेलु ग्राम पंचायत की रॉयल्टी से सालाना 3 करोड़ रूपये की आय का उदाहरण दिया। जबकि छोटी पंचायतों में संपत्ति कर या जल कर वसूलने में भी दिक्कतें आती हैं।

4. श्री अतुल गाडे, राज्य पेसा समन्वयक, महाराष्ट्र: पंचायतों को ओएसआर प्राप्त करने के लिए सभी अधिनियमों में प्रावधान हैं। इसमें लघु वन उपज भी शामिल है जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कब पंचायत, ब्लॉक या जिला पंचायत को आय प्राप्त होगी। पिछले दो वर्षों में पंचायतों को 142 करोड़ रुपये की आय हुई। लघु जल निकायों

के संबंध में भी पूरी राशि पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई। छोटे जल निकायों के माध्यम से सभी पेसा पंचायतों को सामूहिक रूप से सालाना आय लगभग 3.00 करोड़ रुपये है। राज्य अधिनियम में ग्राम बाजारों से आय का भी प्रावधान किया गया है और इसका ओएसआर भी लगभग 3.00 करोड़ रुपये है। पंचायतों में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसे रिकॉर्ड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लघु वन उपज से होने वाली आय को छोड़कर, ओएसआर को जीपीडीपी में प्रतिबिंबित किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने तेंदू पत्ते और बांस के संबंध में यह प्रावधान किया है कि इनके दोहन के लिए ग्राम सभाएं संघ बना सकती हैं। उन्हें एक कार्य योजना बनानी होगी, जिसे ग्राम सभा और वन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना है। लेकिन, वर्तमान में सरकार द्वारा इसके लिए सक्षम प्रावधान किये जाने के बावजूद ऐसी कार्य योजनाएँ तैयार नहीं की जा रही हैं। संसाधन वृद्धि के लिए मनरेगा और सीएएमपीए जैसी योजनाओं से धन का अभिसरण किया जा रहा है, लेकिन इस अभिसरण के माध्यम से ओएसआर सृजन नहीं हो रहा है। एसएचजी को प्रोत्साहित करके वन उपज का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण वर्तमान में नहीं हो रहा है, लेकिन किया जा सकता है। औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के व्यावसायीकरण के संबंध में, ग्राम सभा या उसके संघ द्वारा इन संसाधनों की बिक्री को विनियमित करने और अतिरिक्त आय और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में, उत्तर नकारात्मक है, ऐसे उत्पाद व्यक्तियों द्वारा निजी व्यापारियों को बेचे जा रहे हैं। ग्राम सभाएं जंगलों पर सामुदायिक अधिकारों के लिए मामले भेज रही हैं, मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए छोटे जल निकायों को पट्टे पर दे रही हैं और नीलामी के माध्यम से राजस्व सृजन किया जा रहा है। गाँव के बाजारों का प्रबंधन पंचायतों द्वारा किया जाता है। लघु खनिजों की बिक्री को विनियमित करने के संबंध में, यह पूरी तरह से राज्य खनन विभाग के पास है, और ग्राम पंचायतों को हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. श्री. सुभाष बोडके, उप आयुक्त, उत्पाद शुल्क विभाग, महाराष्ट्र: 1949 से महाराष्ट्र में शराबबंदी नीति लागू है और आज भी नियंत्रण है। जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए ग्राम सभा की एनओसी अनिवार्य है। प्रत्येक ग्राम सभा निर्णय लेती है कि उस लाइसेंस को जारी रखा जाए या नहीं; यदि वह चाहती है कि यह लाइसेंस जारी न रहे तो वह एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है। यहां लाइसेंस शुल्क का कोई भी हिस्सा ग्राम पंचायत को नहीं जाता है। इसे एकत्रित करने का अधिकार कलेक्टर स्तर पर है। लेकिन पेसा क्षेत्र में बहुत कम लाइसेंस हैं। क्योंकि अगर हम वहां की जनसंख्या और मांग को देखें तो वहां लाइसेंस बहुत कम हैं। महाराष्ट्र में पेसा क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क 1 करोड़ रुपये से भी कम है। और वह भी सीधे राज्य सरकार को जाता है। इसका कोई भी हिस्सा पंचायत को जाने का प्रावधान नहीं है।

महाराष्ट्र में औषधीय पौधों और शराब के आसवन को लेकर 1977 से नीति है, लेकिन 2021 से इनके लिए लाइसेंस केवल आदिवासी संगठन, महिला मंडल या ग्राम पंचायत की संस्था को ही दिया जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आसवन की अनुमति है, जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

6. डॉ. देवेश मिश्रा, मध्य प्रदेश: ओएसआर के संबंध में राज्य के पंचायती राज अधिनियम में अनिवार्य कर का प्रावधान किया गया है। एक सूची है कि कौन से कर अनिवार्य हैं और एक अन्य सूची है जो वैकल्पिक है। अधिनियम दिनांकित होने के कारण, उसमें उल्लिखित दरें बहुत कम हैं और पंचायतों में आने वाले पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसी में संशोधन किया जा रहा है.

हमारे पेसा क्षेत्र की वर्तमान व्यवस्था में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि मंडी शुल्क आदि की वसूली ठेके पर दी जाए। गांवों में लगने वाले बाजार और मेले, किसी भी तरह का सामूहिक कार्यक्रम, इन सब पर टैक्स लगेगा। 2023-24 में पेसा पंचायतों की आय लगभग 2.5 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को पंचायत में एक से दस हेक्टेयर तक के जल निकायों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। ये 10 हेक्टेयर तक के तालाब हैं, इनका प्रबंधन ग्राम पंचायतें करती हैं। पेसा पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष में लघु जल निकायों से लगभग 13,65,000 रुपये की आय हुई है। तेंदूपत्ता संग्रहण का अधिकार 268 ग्राम सभाओं को दिया गया है तथा तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन से उन्हें 1.28 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई है। हमारे अनुसार यहां एक ही प्रश्न उठता है कि कराधान के क्षेत्र में जो प्रावधान दिये गये हैं, वे पंचायतों को भी दिये गये हैं। ग्राम सभा के लिए खाते खोले गए हैं और इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी कि जिन ग्राम सभा क्षेत्र में तालाब है, उन ग्राम सभा क्षेत्र की पंचायतों को तालाब के प्रबंधन और उससे राजस्व वसूलने का अधिकार होगा। जब हम नियमों को अंतिम रूप से प्रकाशित करने जा रहे हैं तो इस पर भी विचार किया जा रहा है।

7. श्री संतोष कुमार, राजस्थान: राजस्थान में ओएसआर का कोई अलग डेटा बेस नहीं रखा जाता है क्योंकि बहुत कम राजस्व सृजन हो रहा है। जीपीडीपी के संबंध में भी, यह सच है। हम पंचायत स्तर तक लगभग 1700-1800 लोगों की जनशक्ति तैनात कर रहे हैं। हम वनोपज विकास का कार्य करा रहे हैं। नरेगा के माध्यम से जो भी उपज आती है उसे नियंत्रित किया जा रहा है। पंचायतों में नरेगा, एसएफसी और एफसी के माध्यम से अलग-अलग राशि मिल रही है। ग्रामीण स्तर पर मेडिकल प्लांट का व्यावसायीकरण नहीं हो रहा है। इसी प्रकार, ग्राम सभा स्तर पर भी प्राकृतिक संसाधनों का कोई प्रबंधन या विनियमन नहीं होता है। इनके पास स्थानीय स्तर पर कोई लाइसेंस/टैक्स का अधिकार नहीं है। हां, यदि किसी शराब की दुकान के संबंध में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो ग्राम सभा इसे कलेक्टर के पास भेजती है, जो इसे कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से जांच के लिए भेजता है। वह जांच कराते हैं और अगर मामला सही पाया जाता है तो वह इसे एक्साइज कमिश्नर के पास भेजते हैं और वह उस पर कार्रवाई करते हैं।

यहां जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि पेसा के संचालन के संबंध में राजस्थान में अभी भी बहुत प्रयास की आवश्यकता है।

8. डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय: मंच पर हस्तक्षेप करते हुए, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अफसोस जताया कि 73वें संवैधानिक संशोधन से पिछले 30 वर्षों में, कागज पर अधिक काम किया गया है, और यह पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम और मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पंचायतों के लिए किसी भी नीति का मसौदा तैयार करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है

कि जनशक्ति और उसके लिए खर्च कहां से आएगा। इनका प्रावधान नीति में रखना आवश्यक है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और प्रतिभागियों की टिप्पणियाँ:

9. प्रतिभागी: राज्यों में रेत खनन से, स्टोन क्रशर से और जल निकायों से राजस्व उत्पन्न किया जा रहा है। जबकि नगर पालिकाएँ इन गतिविधियों से कर/ टैक्स कमा रही हैं। पंचायतों को इन करों का कुछ प्रतिशत क्यों नहीं मिल सकता है? यही बात महुआ फूल से शराब के आसवन के लाइसेंस के संबंध में भी सत्य है।

10. प्रतिभागी: साहूकारी के मामले में सबसे ज्यादा जमीन और आभूषण गिरवी रखे जा रहे हैं। मेरे ग्राम पंचायत में साहूकारी का एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में पेसा नियम हाल ही में अधिसूचित किये गये हैं।

11. श्री. अमोल सतपुते, महाराष्ट्र: प्रश्न महाराष्ट्र में राजस्व के स्वयं के स्रोत के संबंध में था। महाराष्ट्र में लघु जल निकायों, ग्रामीण बाजारों, लघु वनोपज के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और काफी राजस्व भी पैदा हो रहा है। लेकिन पेसा के लिए प्रबंधन योजना का अभाव है।

12. श्री. मिलिंद थट्टे: गढ़चिरौली के लिए जिस कार्य योजना की बात की जा रही है, उसके कारण बांस का अत्यधिक दोहन हुआ है। भारतीय वन संस्थान, भोपाल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, इस पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सौ ग्राम पंचायतों में एक पायलट परियोजना शुरू की है, जहां एनजीओ को प्रति ग्राम पंचायत कार्य योजना तैयार करने के लिए 1,00,00 रुपये दिए जाते हैं।

13. डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सारांश: संक्षेप में, उन्होंने रेखांकित किया कि इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इसमें शामिल मुद्दों को समझने के लिए किया गया है। तार्किक रूप से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि सारी समस्याओं का समाधान यहीं मिल जायेगा। जो 30 साल में नहीं हुआ वो 2 दिन में नहीं होगा। सम्मेलन आयोजित करने का हमारा इरादा मुद्दों को उठाना और सही प्रश्न पूछना शुरू करना है। अब तक हम सही सवाल नहीं पूछ रहे थे। इसके लिए मंत्रालय और राज्यों दोनों को स्वामित्व लेना होगा। हालांकि पेसा कानून और नियम बन गए हैं, लेकिन हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पेसा क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। अब हम सही प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे पेसा को ठीक से समझें। जो नियम बनाये गये हैं उनमें भी भ्रम है।

यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि मूल विभाग का क्या अधिकार है और पंचायत का क्या अधिकार है। तभी वह नियम पंचायत व अन्य सभी जगह लागू होगा। जब तक हम स्पष्ट तरीके से प्रतिनिधि नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हर चीज की सही तरीके से मैपिंग करनी होगी। इसमें पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए जैसे हमने गतिविधि मानचित्रण के मामले में की थी। हमें सबसे पहले यह स्पष्टता लानी होगी कि कौन सा काम कौन करेगा,

क्या जिला पंचायत करेगा, क्या उनके राज्य के अधिकारी करेंगे या कौन करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले हमें विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी की मैपिंग में स्पष्टता लाने के लिए काम करना चाहिए।

श्री मल्लिनाथ कलशेट्टी, डीडीजी, यशदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन